श्रीराम

नमःपार्वती पतये हर हर महादेव

त्वदीय पाद पकजं नमामि देवी नर्मदे

# अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महासभा संविधान 2023

## भाग 01

## (सामान्य)

## धारा

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | समिति का नाम | :: | अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महासभा |
| 02. | स्थापना | :: | सन् 1920 |
| 03. | पंजीयन क्रमांक | :: | 17379 / 1986 |
| 04. | कार्यक्षेत्र | :: | संपूर्ण भारतवर्ष |
| 05. | प्रभावषील | :: | यह संविधान शासकीय स्वीकृति दिनांक से प्रभावषील रहेगा। |
| 06. | यह संविधान अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महासभा का संविधान 2023 कहलायेगा। | | |
| 07. | मुख्यालय कार्यालय एवं पत्र व्यवहार | :: | (ए) **"नर्मदा भवन"**, शक्ति नगर, इन्दौर (म.प्र.) के भवन में प्रदत्त कक्ष महासभा का पंजीकृत मुख्यालय रहेगा। |
| | | | (बी) महासभा का अस्थाई कार्यालय महासभा के कार्यरत अध्यक्ष द्वारा निर्देषित स्थान पर रहेगा। |
| | | | (सी) महासभा के पत्र व्यवहार का पता पदेन अध्यक्ष का निवास स्थान होगा। वर्तमान में पदेन अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा, पता–101, षिव सागर सिटी, गमले वाली पुलिया, ए.बी.रोड़, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | इन्दौर रहेगा। इसके बाद पदेन अध्यक्ष का निवास स्थान होगा। |

## धारा

## (8) उद्देष्य

| | |
|---|---|
| (ए) | नार्मदीय ब्राह्मण समाज की बोली, संस्कृति, सभ्यता, परिवेष, रहन–सहन, पहनावा, पारम्परिक भोजन, तीज त्यौहारों के साथ सम्पूर्ण समाज का बौद्धिक, सांस्कृतिक साहित्यिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक (आध्यत्मिक) उन्नति के/विकास के साथ–साथ समाज का सर्वांगीण विकास करना। समाज में व्याप्त कुप्रथा/रुढीवादिता, कुरीतियों और अंधविष्वासों के विरोध के प्रति जागृति पैदा करना और जागृति फैलाना। |
| ए(1) | दिव्यांग छात्र–छात्राओं एवं दिव्यांग व्यक्तियों के अध्ययन एवं छात्रावास की व्यवस्था करना। |
| (2) | महिला सिलाई केन्द्रों की स्थापना करना एवं निर्धन महिलाओं को रोजगार का प्रषिक्षण देना। |
| (3) | महिलाओं एवं युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रषिक्षण देना। |
| (4) | महिला स्व–सहायता समूह बनाना। |
| (5) | महिला/पुरुष वृद्ध आश्रम का निर्माण एवं संचालन करना। |
| (6) | साक्षरता हेतु कार्य करना। |
| (7) | रेल्वे प्लेटफार्म एवं शहरों के गरीब एवं जरुरतमंद बच्चों का पुनर्वास करना। |
| (8) (ए) | शासन की विभिन्न योजनाओं के लिये जनहित में प्रचार, प्रसार करना/उसका उपयोग कर उद्देष्यों को पूरा करना। |
| (बी) | नार्मदीय ब्राह्मण समाज के सभी व्यक्तियों के बीच परस्पर प्रेम, सौहार्द (सहयोग) की भावना में निरंतर वृद्धि करना। |
| (सी) | नार्मदीय ब्राह्मण समाज के सभी व्यक्तियों को संगठित करना एवं निरंतर संगठनात्मक संरचना को शक्तिषाली बनाना। |

| | |
|---|---|
| (डी) | नार्मदीय ब्राह्मण समाज की समस्त गुरुगादियों के संरक्षण एवं संचालन में सहयोग करना। |
| (इ) | समाज में उत्पन्न विभिन्न स्तर के विवाद एवं समस्याओं के निराकरण की दिषा में विषेष प्रयास करना। |
| (एफ) | सामाजिक उत्तरदायित्व/सेवा आदि का निर्वहन करने वाले स्वजातीय सामाजिक बंधु/बहन को प्रतिवर्ष **"नर्मदा रत्न"** सम्मान प्रदान करना, जिसमें शाल, श्रीफल एवं सम्मानजनक नकद राषि भी सम्मिलित हो। |
| (जी) | समाज के सभी धार्मिक स्थलों पर समाज हित के भवन आदि का निर्माण/पुर्ननिर्माण करना, धार्मिक स्थलों एवं अन्य धार्मिक स्थलों की देखरेख करना एवं मॉ नर्मदा में प्रदुषण ना फैले इस हेतु ठोस प्रयास करना। |
| (एच) | मॉ नर्मदा जयंती का दिन अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण समाज महासभा का **"गौरव दिवस"** कहलायेगा। |

धारा

(9) <u>परिभाषाएँ</u> :–

| | | |
|---|---|---|
| | (ए) | **"महासभा"** से तात्पर्य है कि, अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महिला संगठन, अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण युवक संगठन एवं अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण युवती संगठन सभी संयुक्त रुप से सम्मिलित होंगे। |
| | (i) | "**महासभा अध्यक्ष"** से तात्पर्य है कि, वे पुरुष अध्यक्ष जो भाग 3 के अंतर्गत अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित/मनोनीत हुए हैं। |
| | (ii) | **"महिला संगठन अध्यक्ष"** से तात्पर्य है कि, वे महिला अध्यक्ष जो भाग 4 के अंतर्गत अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित/मनोनीत हुई हैं। |
| | (iii) | **"युवक संगठन अध्यक्ष"** से तात्पर्य है कि, वे युवक संगठन अध्यक्ष जो भाग 5 के अंतर्गत युवक संगठन अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित/मनोनीत हुए हैं। |

| | | |
|---|---|---|
| | (iii) | **"युवती संगठन अध्यक्ष"** से तात्पर्य है कि, वे युवती संगठन अध्यक्ष जो भाग 5 के अंतर्गत युवती संगठन अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित/मनोनीत हुई हैं। |
| | ए–(1) | **"नार्मदीय ब्राह्मण"** नार्मदीय ब्राह्मण से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसने **"नार्मदीय ब्राह्मण"** कुल में जन्म लिया है। |
| | ए–(2) | अन्य समाज की बालिग युवती अथवा महिला से विवाह करने वाले नार्मदीय ब्राह्मण पुरुषों की संताने भी **नार्मदीय ब्राह्मण** मानी जावेगी। |
| | (बी) | **"नार्मदीय युवा ब्राह्मण"–** वह युवक/युवती है, जो नार्मदीय ब्राह्मण समाज का होकर उसकी आयु 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक की ना हो। |
| | (बी) (1) | **"युवा संगठन"** से तात्पर्य है कि, **"अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण युवक संगठन और "अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण युवती संगठन"** दोनों सम्मिलित रुप से होकर पृथक–पृथक कार्यकारिणी द्वारा समाज हित का कार्य करेंगे। |
| | (बी) (2) | **"महिला संगठन"** से तात्पर्य है कि, **"अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महिला संगठन।** |
| | (सी) | **"प्रवासी"** समाज के वे व्यक्ति जो धारा 10 (क्षेत्रीय इकाई) में उल्लेखित क्षेत्रों से बाहर भारत में अथवा अन्यत्र निवासरत हैं। |
| | (डी) | **"अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महासभा"** से आषय महासभा के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी, महिला संगठन के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी, युवक संगठन के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी एवं युवती संगठन के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी से ही हैं, जो **"महासभा"** कहलायेगी। |
| | (ई) | **"महासभा की इकाई"** से तात्पर्य है कि, महासभा के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी द्वारा उन्हें इकाई के रुप में स्वीकृति एवं मान्यता प्रदान की गई हो |
| | (एफ) | **"महासभा सदस्य"–** नार्मदीय ब्राह्मण समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, वह किसी भी इकाई के अंतर्गत क्षेत्र में |

| | | |
|---|---|---|
| | | निवासरत है या उस इकाई का सदस्य है वह **"अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महासभा"** का सदस्य माना जावेगा। |
| | (1) | **"इकाई सदस्य"** नार्मदीय ब्राह्मण समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, वह उस इकाई का सदस्य माना जावेगा, जिस इकाई के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निवासरत है। |
| | (जी) | **"ईकाई मतदाता सदस्य" :–**<br>(1) ईकाई का वह सदस्य जिसने मतदाता सदस्यता हेतु उस इकाई द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर सदस्यता प्राप्त कर ली हो, इकाई मतदाता सदस्य माना जावेगा। कोई भी इकाई किसी भी सदस्य को मतदाता सदस्य बनने से रोक नहीं सकती है। इसके बावजूद भी किसी इकाई सदस्य को इकाई मतदाता सदस्य बनने में कोई भी परेषानी आती है, तो महासभा को यह अधिकार रहेगा कि, वह उस सदस्य से इकाई द्वारा निर्धारित शुल्क स्वयं लेकर उसे उस इकाई का मतदाता सदस्य स्वीकार करे। |
| | | (2) इकाई मतदाता सदस्य बनने के लिये हर 3 वर्षो में हर सदस्य को उस इकाई द्वारा निर्धारित राषि जमा कर नवीनीकरण करना अनिवार्य होगा और नवीनीकरण की दषा में ही उसे ईकाई मतदाता सदस्य माना जावेगा। तीन वर्ष की गणना प्रथम सदस्यता प्राप्ति से की जा सकेगी, अन्यथा हर बार चुनाव की स्थिति के पूर्व नवीनीकरण कर सदस्य बनाना अनिवार्य होगा। समाज के व्यक्ति जो मतदाता सदस्य बन चुके हैं एवं 3 वर्षो की अवधि नवीनीकरण हेतु लंबित हैं, वे भी सभी ईकाई मतदाता सदस्य माने जाऐंगे। इस हेतु उनके पास साक्ष्य होना अनिवार्य होगा। जिसमें प्राप्त शुल्क की रसीद, ईकाई या महासभा द्वारा संधारित सूची में उनका नाम उल्लेखित हो। |
| | | (3) महासभा का प्रत्येक सदस्य क्षेत्रीय ईकाई का मतदाता सदस्य माना जावेगा, जब उसके द्वारा उक्त धारा (1) (2) का पूर्ण पालन किया हो। |

| | | |
|---|---|---|
| | (एच) | **"मतदाता सदस्य"** मतदाता सदस्य से तात्पर्य है कि, वे सदस्य जो इकाईयों के और महासभा के चुनाव में मतदान कर सकेंगे। |
| | | **स्पष्टीकरण :–**<br>(1) मतदाता सदस्य बनने के लिये, निर्धारित शुल्क की राषि महासभा के कार्यालय में या इकाई/इकाईयों के कार्यालय में जमा की जा सकेगी। सम्बन्धित इकाईयों द्वारा सदस्यता सूची मय राषि के अनिवार्य रुप से महासभा की आगामी बैठको में महासभा, कोषाध्यक्ष के पास जमा करनी होगी। इस हेतु सम्बन्धित ईकाई अध्यक्ष व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होंगे। |
| | | **स्पष्टीकरण :–**<br>(2) महासभा द्वारा सदस्यता सूची तैयार की जावेगी एवं अन्य स्पष्टीकरण क्र.1 के अनुसार प्राप्त सूची के आधार पर यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होगी। |
| | एच–(1) | **"क्षेत्रीय ईकाईयां"** वे समस्त ईकाईयाँ जिनका उल्लेख भाग 2, धारा 10 में किया गया है। |
| | (आई) | **"क्षेत्रीय ईकाईयों का इकाई मतदाता"**<br>सदस्य महासभा प्रत्येक व्यक्ति मतदाता सदस्य अपनी क्षेत्रीय इकाई (जिसके अंतर्गत निवासरत है) का इकाई मतदाता सदस्य माना जावेगा, बषर्त उसने उस हेतु निर्धारित शुल्क अदा कर दिया हो। |
| | (जे) | **"पदेन सरंक्षकगण"**<br>अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महासभा के समस्त पूर्व निवृतमान अध्यक्षगण महासभा के पदेन संरक्षक होंगे।" |
| | (के) | **"संविधान संषोधन समिति"**<br>संविधान के किसी भी प्रावधान में संषोधन/परिवर्तन आदि की आवष्यकता प्रतीत होने पर संविधान संषोधन समिति का गठन महासभा की कार्यकारिणी द्वारा किया जावेगा, जिसमें निम्न सदस्य होंगे<br>(ए) **महासभा अध्यक्ष** |

| | | |
|---|---|---|
| | | (बी) महामंत्री–1, अध्यक्ष द्वारा मनोनीत<br>(सी) सदस्य –3, कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत<br>(डी) विधिवेत्ता– 2, कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत<br>(इ) महिला संगठन की अध्यक्ष एवं एक मनोनीत सदस्य<br>(एफ) युवा संगठन के अध्यक्ष एवं एक मनोनीत सदस्य<br>(जी) युवती संगठन की अध्यक्ष एवं एक मनोनीत सदस्य |
| | (एल) | अक्षत कोष –<br>अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महासभा की दिनांक 23/09/2012 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी की बैठक में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में "महासभा एक ऐसे कोष का गठन करेगी, जिसमें समाज के परिजनों द्वारा समाज हित में, उदारता से, धनराषि जमा की जावेगी, जो कि, स्थाई रुप से, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में "फिक्स डिपॉजिट में जमा की जावेगी तथा "फिक्स डिपाजिट में जमा इस राषि के केवल ब्याज की राषि को अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महासभा की कार्यकारिणी, धारा 27 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार समाज हित में उपयोग करे सकेगी।" |
| | (एम) | "युवा संगठन"–<br>से तात्पर्य है कि, अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण समाज का युवा संगठन जिसमें युवक संगठन, और युवती संगठन अलग–अलग होंगे और दोनों की कार्यकारिणी भी अलग–अलग होकर स्वतंत्र कार्य करेंगी। जो भाग 3 में उल्लेखित महासभा की कार्यकारिणी के अधीन होंगे। |
| | (एन) | "तदर्थ समिति" :–<br>से तात्पर्य है कि, समाज के वे अलग–अलग 11 (ग्यारह) प्रतिष्ठित सदस्य, (जो महासभा की कार्यकारिणी से हो या किसी भी इकाई की कार्यकारिणी से या इकाई या महासभा के सदस्य हो) जिनमें समस्त पदेन संरक्षकगणों को मिलाकर कुल संख्या 11 हो एवं पदेन |

| | | |
|---|---|---|
| | | संरक्षकगणों के नामों को छोड़कर अन्य बचे हुए नाम अधिकतम तय सीमा 11 तक ही हों, महासभा की आमसभा/विषेष साधारण सभा में तय किये जावेगें। यह तभी संभव होगा, जब महासभा या उसकी सम्पूर्ण कार्यकारिणी संविधान के विपरीत कोई भी अवैधानिक कार्य करे जिससे सम्पूर्ण समाज पर कोई भी विपरीत असर होना शुरु हो जाये या हो। इन परिस्थितियों में अनुषासन समिती या तो स्वयं या अन्य किसी भी महासभा के पदाधिकारीगण/महासभा सदस्य, इकाई के पदाधिकारीगण/इकाई के सदस्य या तो सम्मिलित रुप से या व्यक्तिगत रुप से अनुषासन समिति को इसकी षिकायत करे तो अनुषासन समिति तदर्थ समिति के गठन हेतु आमसभा/विषेष साधारण सभा आहूत कर सकती है। आमसभा/विषेष साधारण सभा में तदर्थ समिति के गठन के बाद, तदर्थ समिति को यदि यह प्रतीत होता है कि, महासभा को समाज हित में भंग किया जाना चाहिये तो वह उसे भंग कर सकती है एंव महासभा का पूरा प्रषासनिक कार्य अगले चुनाव होने तक (जो तदर्थ समिति शीघ्र करवाने का प्रयत्न करेगी) सम्पन्न करेगी। चुनाव करवाने की सारी जिम्मेदारी तदर्थ समिति पर ही होगी, जिसका सम्पूर्ण खर्च भी तदर्थ समिति ही वहन करेगी। सम्पूर्ण कार्य संविधान अनुरुप ही सम्पन्न करवायेगी। तदर्थ समिति की बैठकों में संरक्षकगणों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। |
| | **(ओ)** | **"तदर्थ समिति"** द्वारा महासभा को समाजहित में उपरोक्तानुसार भंग किये जाने पर, भंग की गई महासभा के, महासभा अध्यक्ष, महिला संगठन अध्यक्ष, युवक संगठन अध्यक्ष एवं युवती संगठन अध्यक्ष, **"पदेन संरक्षक"** नहीं कहलायेंगे। |

# भाग –2

# क्षेत्रीय इकाईयाँ

## धारा 10

**क्षेत्रीय इकाईयाँ.**

अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महासभा के प्रषासनिक संगठन में निम्नानुसार **"क्षेत्रीय इकाईयाँ"** वर्तमान में समायोजित हैं :–

| अनु.क्रं. | नाम प्रषासनिक क्षेत्रीय इकाई | इकाई में सम्मिलित क्षेत्र |
|---|---|---|
| 01 | खंडवा (पूर्व निमाड़) | खंडवा नगर |
| 02 | नर्मदापुरम जिला इकाई | नर्मदापुरम जिला (इटारसी इकाई को छोड़कर) व बैतूल जिला |
| 03 | **धार जिला** | धार जिला (धामनोद इकाई एवं पीथमपुर इकाई को छोड़कर) झाबुआ जिला व अलीराजपुर जिला |
| 04 | भोपाल इकाई | भोपाल संभाग (सिहोर इकाई को छोड़कर) |
| 05 | उज्जैन इकाई | उज्जैन, शाजापुर जिला |
| 06 | रतलाम इकाई | रतलाम, मन्दसौर व नीमच जिला |
| 07 | जबलपुर इकाई | जबलपुर व सागर सम्भाग |
| 08 | रायपुर इकाई | सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेष |
| 09 | मुंबई इकाई | विदर्भ इकाई का क्षेत्र छोड़कर सम्पूर्ण महाराष्ट्र (उत्तर पूर्व का प्रादेषिक क्षेत्र छोड़कर) |
| 10. | गुजरात इकाई | सम्पूर्ण गुजरात प्रदेष |
| 11 | खरगोन (पष्चिम निमाड़) इकाइ) | खरगोन नगर |
| 12. | बड़वानी इकाई | बड़वानी जिला (सेंधवा इकाई को छोड़कर) |
| 13. | हरदा इकाई | हरदा जिला (तिमरनी इकाई, खिरकिया इकाई, सिराली इकाई को छोड़कर) |

| | | |
|---|---|---|
| 14. | इन्दौर इकाई | इन्दौर जिला (महू इकाई एवं राऊ इकाई को छोड़कर) |
| 15 | प्रवासी | धारा 9 (सी) के अनुसार |
| 16. | सनावद | तहसील सनावद |
| 17. | महेश्वर | महेश्वर एवं आस–पास के ग्राम |
| 18. | टिमरनी | तहसील टिमरनी |
| 19. | विदर्भ | महाराष्ट्र राज्य का उत्तर–पूर्वी प्रादेषिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत नागपुर एवं अमरावती दो डिवीजन हैं एवं महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, चन्द्रपुर, अकोला, वर्धा, बुलढाना, यवतमाल, भंडारा, गोंदिया, वाषिम एवं गढ़चिरौली जिले आते हैं। |
| 20. | मंडलेष्वर | मंडलेष्वर एवं आसपास के ग्राम |
| 21. | खिरकिया | खिरकिया नगर एवं आसपास के ग्राम |
| 22. | हरसूद (छनेरा) | हरसूद नगर एवं आसपास के ग्राम |
| 23. | सिराली | सिराली नगर एवं आसपास के ग्राम |
| 24. | पंधाना | पंधाना नगर एंव सम्पूर्ण तहसील |
| 25. | कसरावद | कसरावद नगर एवं आसपास के ग्राम |
| 26. | बड़वाह | बड़वाह नगर एवं आसपास के ग्राम |
| 27. | सेंधवा | सेंधवा नगर एवं आसपास के ग्राम |
| 28. | महू | महू, एवं आसपास का क्षेत्र |
| 29. | देवास | देवास नगर एवं आसपास के ग्राम |
| 30. | मूंदी | मूंदी एवं आसपास के ग्राम |
| 31. | बमनाला | बमनाला, भिकनगांव एवं आसपास के ग्राम |
| 32. | इटारसी | सम्पूर्ण इटारसी तहसील |
| 33. | सिहोर | सम्पूर्ण सिहोर जिला |
| 34. | राऊ | सम्पूर्ण राऊ क्षेत्र |

| | | |
|---|---|---|
| 35. | पीथमपुर | सम्पूर्ण पीथमपुर क्षेत्र |
| 36. | धामनोद | धामनोद एवं आसपास के क्षेत्र |

वर्तमान में घोषित नई इकाईयों के नाम एवं सम्मिलित स्थान निम्नलिखित हैं :–

| | | |
|---|---|---|
| 37. | करही | करही नगर एवं आसपास के ग्राम |
| 38. | नर्मदा नगर | नर्मदा नगर व पुनासा टप्पा क्षेत्र |
| 39. | धरमपुरी | धरमपुरी तहसील |
| 40 | बैड़िया | बैड़िया नगर एवं आसपास के ग्राम |
| 41. | कोलार, भोपाल | कोलार, भोपाल विधानसभा क्षेत्र |
| 42. | मिलन, भोपाल | होंशगाबाद रोड़ और आसपास का क्षेत्र |
| 43. | उत्तरी इकाई, इन्दौर | विधानसभा क्षेत्र क्र.2 का क्षेत्र |
| 44. | पूर्वी इकाई, इन्दौर | विधानसभा क्षेत्र क्र. 5 का क्षेत्र |

इस धारा 10 के तहत घोषित इकाईयों मे अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महासभा, संविधान 2019 के अनुसार धारा 11(बी) की कार्यवाही लम्बित है, अतः नई घोषित इकाईयाँ क्रमांक 37 से 42, धारा 10 के अन्तर्गत प्रषासनिक संगठन में क्षेत्रीय इकाईयाँ नहीं हैं। इस संविधान के प्रभावषील होने तक यदि अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महासभा के संविधान 2019 के अनुसार या इस संविधान के प्रभावषील होने के बाद इस संविधान के अंतर्गत की गई कार्यवाही अनुसार ही उक्त इकाईयाँ क्र. 37 से 42 तक उक्त धारा 10 के अंतर्गत प्रषासनिक संगठन में क्षेत्रीय इकाईयों की श्रेणी में स्थान ले सकेंगी एवं उन्हें उसी दषा में क्षेत्रीय इकाईयाँ माना जायेगा।

## 11. पृथक इकाई/इकाईयों का निर्माण

(ए) भाग दो धारा 10 में वर्णित क्षेत्रीय इकाईयों एवं उसमें सम्मिलित क्षेत्र के अतिरिक्त

(1) ऐसे ग्राम/कस्बे(एक या उससे अधिक जुड़े ग्राम/कस्बे) जिसमें नार्मदीय ब्राह्मण परिवारों की संख्या 50 हो।

(2) ऐसे मझले शहर जिसकी आबादी की जनसंख्या 50,000/– व्यक्तियों से एक लाख के मध्य हो, जिसमें नार्मदीय ब्राह्मण परिवारों की संख्या 100 हो।

(3) ऐसे बड़े शहर, जिसकी आबादी की जनसंख्या एक लाख से दो लाख के मध्य हो, जिसमें नार्मदीय ब्राह्मण परिवारों की संख्या 200 हों तथा,

(4) ऐसे और बड़े समस्त शहर जहॉ जनसंख्या का घनत्व 2 लाख से अधिक होकर चारों और फैला हुआ हो और उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पष्चिम दिशाओ में आबादी की जनसंख्या हर दिषाओं में 2 लाख या उससे ज्यादा व्यक्तियों की हो जिसमें नार्मदीय ब्राह्मण परिवारों की आबादी भी उसी अनुपात में हो, जैसा धारा 11(3) में उल्लेखित है, तो वे सभी या कोई भी इकाई, सदस्य बनाकर उनके द्वारा अधिकृत व प्रामाणिक जानकारी के साथ निर्धारित प्रारुप में महासभा के समक्ष, महासभा द्वारा नियत शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर महासभा उन्हें पृथक नवीन इकाई/इकाईयों (एक शहर में एक से ज्यादा) के रुप में मनोनीत कर सकेगी/मान्यता प्रदान कर निर्माण कर सकेगी। इसका अनुमोदन महासभा की कार्यकारिणी में करना अनिवार्य होगा उसके बाद ही नवीन इकाईयॉ अस्तित्व में आ पायेंगी।

**(बी)** धारा 10 में उल्लेखित क्षेत्रीय इकाईयों में भी जनसंख्या घनत्व (आबादी) एंव दूरियों को देखते हुए उपरोक्त धारा 11(ए) अनुसार पृथक नवीन इकाईयॉ निर्मित की जा सकेगी।

**(सी)** यदि कोई सामाजिक संस्था, लोक न्यास, या समीति किसी शासकीय कार्यालय में पंजीबद्ध होकर स्वतंत्र कार्य कर रही है एवं महासभा को भी इकाई के रुप में स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत करती है तो उसे भी इकाई के रुप में धारा 11 (ए) अनुसार मान्यता देकर पृथक नवीन इकाई निर्मित की जा

सकती है परन्तु स्वीकृति दी गई/निर्मित की गई नई इकाई, महासभा के संविधान अन्तर्गत ही संपूर्ण कार्य करेगी।

## धारा 12

**इकाईयों के पदाधिकारीगण एवं सदस्य प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई में निम्न पदाधिकारीगण एवं सदस्य होंगे।**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | अध्यक्ष | :: | 1 | निर्वाचित |
| (2) | उपाध्यक्ष | :: | 1 | मनोनीत |
| (3) | सचिव | :: | 1 | निर्वाचित |
| (4) | प्रचार सचिव | :: | 1 | मनोनीत |
| (5) | कोषाध्यक्ष | :: | 1 | निर्वाचित |
| (6) | महिला सदस्य | :: | 2 | (एक निर्वाचित एवं एक मनोनीत) |
| (7) | युवक सदस्य | :: | 2 | मनोनीत |
| (8) | युवती सदस्य | :: | 2 | मनोनीत |
| (9) | सदस्य | :: | 10 | मनोनीत |

.....

कुल :: 21

.....

## धारा 13

**क्षेत्रीय इकाईयो द्वारा महासभा के मार्गदर्षन/निर्देषो अनुसार कार्य करना।**

(ए) उपरोक्तानुसार गठित समस्त क्षेत्रीय इकाईयॉ महासभा के मार्गदर्षन/निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगी तथा क्षेत्रीय इकाईयों मे कोई विवाद, मतांतर,

सामंजस्य का अभाव आदि की स्थिति में महासभा की कार्यकारिणी द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा व सभी पर समान रुप से बंधनकारक होगा।

**(बी)** महासभा के मार्गदर्षन/निर्देशों के बावजूद भी यदि इकाई का कोई भी मनोनीत पदाधिकारी या सदस्य पूरी तरह निष्क्रिय है एवं समाज हित का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, महासभा के मार्गदर्षन/निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं तो महासभा की कार्यकारिणी को यह अधिकार होगा कि, वे इकाई के ऐसे किसी भी निष्क्रिय मनोनीत पदाधिकारी या सदस्य जो महासभा के मार्गदर्शन/निर्देशो का/अध्यक्ष के निर्देशो का विधिवत पालन न कर रहे हों, को बिना कारण बताए पदमुक्त (पद से हटा)कर सकती है और उनकी जगह किसी अन्य को उस पद पर ला सकती है।

## धारा 14

### इकाईयों के पदाधिकारीगण एवं सदस्यों के कर्त्तव्य :–

(1) इकाई के क्षेत्राधिकार में निवासरत, समस्त मतदाता सदस्यों की सूची तैयार करना व सदस्य कम होने या अधिक होने पर समय–समय पर होने वाले सषोधनों का विधिवत इंद्राज कर उसे शीघ्रातिषीघ्र महासभा के महामंत्री को प्रेषित करना।

(2) **"मार्गदर्षन/निर्देशों का विधिवत पालन" :–**

महासभा की कार्यकारिणी द्वारा समय–समय पर दिये गये मार्गदर्षन/निर्देशों का विधिवत पालन करना।

(3) **"महासभा के उद्देष्यों के पालन का सतत प्रयास करना" :–**

धारा 8 में उल्लेखित महासभा के उद्देष्यों की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करना।

**(4) समन्वय व सहयोग :–**

क्षेत्रीय इकाई के क्षेत्रों के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न सामाजिक संस्था/संगठन/लोकन्यास या समिति के साथ तथा उनके एवं महासभा की कार्यकारिणी के बीच इकाई कार्यकारिणी समन्वय का कार्य करेगी तथा समय–समय पर सहयोग प्रदान करेगी।

**(5) "इकाई कोष एवं ऑडिट" :–**

(1) क्षेत्रीय इकाई कार्यकारिणी अपने कार्य संचालन हेतु अपने प्रयासों से अपनी इकाई के समाज के सदस्यों से राषि प्राप्त कर अपना कोष स्थापित करेगी, जिससे आय व्यय का लेखाजोखा इकाई के कोषाध्यक्ष रखेगें व प्रतिवर्ष हिसाब का ऑडिट भी करवायेंगे, जिसकी प्रतिलिपि महासभा के कार्यकारिणी के महामंत्री को प्रेषित करेगें। ऑडिट नहीं कराने की स्थिति में महासभा कार्यकारिणी इकाई के व्यय पर पर्यवेक्षण करा सकेगी तथा वार्षिक आय–व्यय, वार्षिक साधारण सभा में पारित करने हेतु रखेगी।

(2) क्षेत्रीय इकाईयाँ यदि चाहे तो कोष इकट्ठा रखने हेतु स्वयं के नाम से बैंक में खाता खोल सकती हैं एवं सदस्यों से प्राप्त राषि या कोष की राषि उसमें जमा कर सकती हैं। बैंक का खाता क्षेत्रीय इकाई अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ही संचालित होगा।

**(6) संस्कृति की स्थापना :–**

समाज की परम्पराओं, रीति रिवाज, तीज त्यौहारों व संस्कृति की, समाज के सदस्यो में, परिजनों में, विषेष कर नई पीढी में स्थापना हेतु क्षेत्रीय इकाईयाँ निरंतर प्रयत्नषील रहेगी।

**धारा 15 :–**

**क्षेत्रीय इकाईयों का नामकरण एवं निर्वाचन/चुनाव :–**

(1) भाग 2 धारा 10 में वर्णित क्षेत्रीय इकाई का नामकरण **"नार्मदीय ब्राह्मण समाज" (इकाई का नाम)** इस प्रकार रहेगा। इसी प्रकार किसी भी नवीन इकाई का भी नामकरण रहेगा, जिससे एकरुपता आ सकेगी। उदाहरणार्थ **"खंडवा क्षेत्र"** की इकाई का नाम **"नार्मदीय ब्राह्मण समाज खंडवा इकाई"** होगा।

(2) इकाई की कार्यकारिणी में अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्ममण महासभा के मतदाता सदस्य ही पदाधिकारी सदस्य रहेगें।

(3) प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई के, पदाधिकारियों एवं सदस्यों की संख्या धारा 12 अनुसार ही होगी।

(4) अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्ममण महासभा के अध्यक्ष के कार्यकाल के समाप्ति दिनांक के 6(छः) माह पूर्व महासभा मुख्य चुनाव/निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेगी तथा महासभा मुख्य निर्वाचन/चुनाव अधिकारी के परामर्ष से दो सहायक निर्वाचन चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। जो निर्वाचन या चुनाव समिति कहलायेगी।

(5) प्रत्येक क्षेत्रीय इकाईयों को इकाई मतदाता सदस्यों की अंतिम सूची सदस्यता राषि के साथ महासभा के कार्यकाल की समाप्ति के 6(छः) माह पूर्व महासभा के पास जमा करानी होगी, इसके पष्चात महासभा उपरोक्त मतदाता सूचियाँ मुख्य चुनाव/निर्वाचन अधिकारी को यथाषीघ्र सौपेंगी। मुख्य चुनाव/निर्वाचन अधिकारी स्वयं या क्षेत्रीय इकाई स्तर पर (इकाईयों के लिये) सहायक चुनाव/निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर प्रत्येक इकाईयों के पदाधिकारियों (मतदाता सदस्यों) की निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न करायेंगे। इकाई पदाधिकारियों के निर्वाचन के साथ ही, महासभा निर्वाचन हेतु मतदाता सदस्यों के नाम सर्वसम्मति से मनोनीत/निर्वाचित भी किये जायेंगे, जिसमें एक निर्वाचित अध्यक्ष, एक निर्वाचित कोषाध्यक्ष, एक निर्वाचित सचिव तथा उसी इकाई की एक महिला सदस्य (जो सर्वसम्मत्ति से मनोनीत) इकाई के निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया महासभा अध्यक्ष के कार्यकाल के समापन के 2 माह पूर्व पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

# भाग 3

## महासभा

### धारा 16 महासभा की कार्यकारिणी,

**महासभा अध्यक्ष मनोनीत/निर्वाचन पुरुष ही होगा।**

**(ए) अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्ममण महासभा की कार्यकारिणी में निम्नलिखित पदाधिकारी एवं सदस्य होंगे :–**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **(1)** | अध्यक्ष (पुरुष) | :: | 1 | निर्वाचित |
| **(2)** | उपाध्यक्ष | :: | 5 | मनोनीत |
| **(3)** | महामंत्री | :: | 6 | मनोनीत |
| **(4)** | मंत्री | :: | 12 | मनोनीत |
| **(5)** | कोषाध्यक्ष | :: | 1 | मनोनीत |
| **(6)** | सहकोषाध्यक्ष | :: | 1 | मनोनीत |
| **(7)** | संगठन मंत्री | :: | 1 | मनोनीत |
| **(8)** | प्रचार सचिव | :: | 1 | मनोनीत |
| **(9)** | सदस्य | :: | 35 | मनोनीत |
| | | कुल :: | 63 | |

**(बी)** महासभा अध्यक्ष द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अधिकतम दो माह की अवधि में उक्त धारा 16(ए) में वर्णित कार्यकारिणी का गठन अनिवार्यतः किया जायेगा। इसी के साथ (कार्यकारिणी के गठन के साथ ही) अनुषासन समिति का गठन भी अनिवार्यतः किया जाएगा।

**(सी)** कार्यकारिणी के किसी भी पदाधिकारी या सदस्य का पद किसी कारण से रिक्त होने पर, महासभा अध्यक्ष द्वारा कार्यकारिणी के परामर्ष से उस रिक्त पद की पूर्ति की जावेगी।

## धारा 17

महासभा कार्यकारिणी का कार्यकाल अध्यक्ष द्वारा मनोनीत/निर्वाचित होने की दिनांक से 3 वर्ष की अवधि का होगा।

## धारा 18

महासभा अध्यक्ष पद का चुनाव/निर्वाचन होने पर मतदाता सदस्य निम्नानुसार होंगे :–

**(1)** प्रत्येक क्षेत्रीय इकाईयों के एक निर्वाचित अध्यक्ष, एक निर्वाचित कोषाध्यक्ष, एक निर्वाचित सचिव तथा एक उसी इकाई की सर्वसम्मति से मनोनीत, महिला सदस्य, जो धारा 15 (5) उल्लेखित है।

**(2)** महासभा के समस्त पदेन संरक्षकगण।

**(3)** अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महासभा की निवृतमान महिला संगठन की एक अध्यक्ष।

**(4)** अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महासभा के युवक संगठन के एक निवृतमान अध्यक्ष।

(5) अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महासभा की युवती संगठन की एक निवृतमान अध्यक्ष।

**(6)** समाज की वे पंजीकृत संस्थाएं, संगठन, लोक न्यास व समितियाँ जो अन्य शासकीय कार्यालयों में पंजीकृत हैं, के अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जो कि, महासभा में भी पंजीकृत है।

(7) समाज की वे समस्त संस्थाएं/संगठन/लोकन्यास या समितियाँ जो नार्मदीय ब्राह्ममण समाज के नाम का उपयोग कर समाजजनों से किसी भी सामाजिक कार्य/योजना (आर्थिक मदद, चिकित्सकीय मदद, आपातकालीन मदद, दुर्घटना के लिये मदद आदि) के लिये रुपया इकट्ठा करते हैं, वे सभी उक्त कार्य करने के पूर्व अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महासभा से इस कार्य हेतु स्वीकृति प्राप्त करेगें। उसके पष्चात ही कार्य कर सकेगें, अन्यथा नहीं। महासभा से स्वीकृति लेकर ही उक्त कार्य करना इन सभी पर बंधनकारी होगा।

धारा 19

**महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल :–**

महासभा के निर्वाचित/मनोनीत अध्यक्ष द्वारा उनके इस पद पर निर्वाचन/मनोनयन दिनांक से उनका कार्यकाल 3 वर्ष तक होगा।

धारा 20

**महासभा अध्यक्ष का निर्वाचन/चुनाव**

अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

(1) महासभा अध्यक्ष पद का उम्मीदार वही व्यक्ति होगा, जो महासभा की किसी धारा 10 अनुसार क्षेत्रीय इकाई का मतदाता सदस्य होगा और उसके विरुद्ध किसी भी भारतीय न्याय प्रणाली/न्यायालय /अधिकरण द्वारा उसे दंडित ना किया गया हो, जो आर्थिक विनिमित्ताओं/आर्थिक अपराध, छल एवं रिष्टी (चीटिंग एंव मिस्चीफ) से संबंधित हो, इसके अलावा उसे भारतीय दण्ड संहिता के तहत आर्थिक, सामाजिक, नैतिक एवं मानवता के मूल्यों के प्रावधानों में दंडित ना किया गया हो।

(2) अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महासभा के निर्वाचन हेतु महासभा की कार्यकारिणी अपने कार्यकाल के समापन के 6 (छः) माह पूर्व मुख्य निर्वाचन/चुनाव अधिकारी चुनाव अधिकारी तथा मुख्य निर्वाचन/चुनाव अधिकारियों की सलाह से 2

सहायक निर्वाचन/चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। मुख्य निर्वाचन/चुनाव अधिकारी उनकी नियुक्ति पष्चात महासभा की कार्यकारिणी के कार्यकाल समाप्ति की दिनांक से एक माह पूर्व की कोई भी दिनांक महासभा अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु घोषित करेंगे।

(3) महासभा की कार्यकारिणी धारा 15(5) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार, महासभा अध्यक्ष, क्षेत्रीय इकाईयों से इकाई मतदाता की सूची प्राप्त कर महासभा के कार्यकाल की अंतिम तिथी से 2 माह पूर्व मुख्य निर्वाचन/चुनाव अधिकारी की सौपेगी।

**(4) अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महासभा मे मनोनीत पदाधिकारीगणों एवं सदस्यों, इकाई की कार्यकारिणी में मनोनीत पदाधिकारीगणों एवं सदस्यों को महासभा अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी। ये मतदान नहीं कर पायेंगे।**

(5) महासभा अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु धारा 18 में उल्लेखित मतदाता सदस्य ही मतदान करेंगे।

(6) मुख्य निर्वाचन/चुनाव अधिकारी उनकी निर्वाचन/चुनाव समिति (दोनों सहायक निर्वाचन अधिकारीगण) एवं समाज के वरिष्ठजनों के सहयोग व विचार विमर्ष से महासभा अध्यक्ष हेतु आम सहमति बनाने का प्रयास करेगें। भारतवर्ष में चारों और फैले समाजजनों मे से यदि **"रोटेषन पद्धति"** से भी आम सहमति बनती है तो इसका भी भरपूर प्रयास करेंगे। **"रोटेषन पद्धति"** से तात्पर्य है कि, समाजजनों के भारतवर्ष में अलग–अलग क्षेत्रों में निवासरत नार्मदीय ब्राह्मण समाज के सभी प्रतिष्ठित मतदाता सदस्य जो किसी एक नाम पर आम सहमति बनाने में अपनी–अपनी भूमिका रखते हैं, इन सभी से विचार–विमर्ष कर आम सहमति बनाने का प्रयास करेगें। आम सहमति के न बन पाने की दषा में मुख्य निर्वाचन/चुनाव अधिकारी, निष्पक्षता से, पारदर्षी रुप से, समाज हित को ध्यान में रखकर सर्वसुविधा के अनुसार एवं संविधान का पालन करते हुए निर्वाचन सम्पन्न करायेंगे।

(7) निर्वाचन का समस्त खर्च महासभा द्वारा वहन किया जायेगा या जिस क्षेत्रीय इकाई के क्षेत्राधिकार में निर्वाचन होना है, महासभा अपने स्वविवेक से उस इकाई या अन्य क्षेत्रीय इकाईयों के सहयोग से निर्वाचन का समस्त खर्च वहन करेगी।

(8) यदि किसी कारणवष मुख्य चुनाव/निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित दिनांक को निर्वाचन/चुनाव नहीं हो पाते हैं एवं महासभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो उस अवस्था में अनुषासन समिति या तो स्वयं, या महासभा की आम सभा/विषेष साधारण सभा आहूत कर तदर्थ समिति का गठन धारा 9 (एन) अनुसार ही कर, महासभा अध्यक्ष का निर्वाचन सम्पन्न करवायेगी। कार्यकारिणी अगर अनुषासन समिति स्वयं निर्वाचन सम्पन्न करवाती है तो उस दषा में अनुषासन समिति और यदि तदर्थ समिति महासभा अध्यक्ष का निर्वाचन सम्पन्न करवाती है तो उस दषा में तदर्थ समति ही पूरे निर्वाचन के खर्च का वहन करेगी।

(9) मुख्य निर्वाचन/चुनाव अधिकारी द्वारा निर्धारित निर्वाचन/चुनाव प्रक्रिया के अनुसार धारा 18 में उल्लेखित मतदाता सदस्यों द्वारा मतदान के पष्चात बहुमत के आधार पर महासभा अध्यक्ष का निर्वाचन/चुनाव किया जायेगा।

**(10) मतदाता सदस्य केवल एक ही बार मतदान कर सकेंगे, भले ही वे एक से अधिक पदों पर पदस्थ हों।**

(11) निर्वाचन के तुरन्त बाद (यथाषीघ्र), मुख्य चुनाव/निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचित महासभा अध्यक्ष को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे, जिसमें अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के कार्यकाल का स्पष्ट रुप से उल्लेख होगा।

(12) मुख्य चुनाव/निर्वाचन अधिकारी या सहायक चुनाव/निर्वाचन अधिकारियों (निर्वाचन समिति) पर किसी का भी, किसी भी प्रकार से, कहीं पर भी कोई अवैधानिक दबाव नहीं किया/दिया जावेगा और ना ही उनके चुनाव/निर्वाचन के कार्य में किसी के भी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप, किसी भी रुप में किया जावेगा। मुख्य निर्वाचन/चुनाव अधिकारी, निष्पक्षता से, पारदर्षी रुप से, समाज हित को ध्यान में रखकर सर्वसुविधा के अनुसार एवं संविधान का पालन करते हुए निर्वाचन सम्पन्न करायेंगे।

**(13) महासभा अध्यक्ष के पद पर किसी भी व्यक्ति का मनोनयन (सर्व सम्मति पष्चात) या निर्वाचन, निरंतरता में एक कार्यकाल से अधिक का नहीं होगा।**

**धारा 21**

**महासभा की कार्यकारिणी का गठन एवं महासभा सम्मेलन की घोषणा**

(1) महासभा कार्यकारिणी का पदाधिकारी/सदस्य केवल वही व्यक्ति होगा जो किसी भी क्षेत्रीय इकाई (धारा 10) में उल्लेखित का मतदाता सदस्य होगा।

(2) निर्वाचित/मनोनीत महासभा अध्यक्ष, महासभा की कार्यकारिणी का गठन धारा 16 (ए) में उल्लेखित रुप से ही करेंगे, इसकी समय सीमा धारा 16 (बी) अनुसार ही रहेगी।

(3) महासभा कार्यकारिणी के गठन के पष्चात महासभा अध्यक्ष कार्यकारिणी के समस्त मनोनीत पदाधिकारियों एवं सदस्यों की जानकारियों को उनके नाम के उल्लेख के साथ समाज की समस्त पत्र/पत्रिकाओं में प्रकाषन हेतु देंगे। इसके साथ ही धारा 10 में वर्णित समस्त क्षेत्रीय इकाईयो के अध्यक्षों को भी प्रेषित करेंगे।

(4) निर्वाचित /मनोनीत महासभा अध्यक्ष अपने निर्वाचन की दिनांक से अधिकतम छः (6) माह की अवधि में महासभा के सम्मेलन का स्थान व तिथी की घोषणा करेंगे तथा ऐसे स्थान व तिथि के साथ कार्यक्रम की अनुमानित समय–सारिणी की घोषणा करेगें, समाज के पत्र/पत्रिकाओं में प्रकाषन कर समस्त क्षेत्रीय इकाईयों को सूचना देकर व विभिन्न माध्यमों से, सोषल मीडिया आदि पर समाज में प्रचार प्रसार करेगें ताकि समाज के दूरस्थ परिजनों को ऐसे महासभा के सम्मेलन की व सम्मेलन में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी हो सके।

## धारा 22

**महासभा के कार्यकारिणी के कर्त्तव्य, अधिकार एवं दायित्व :–**

(1) धारा 8 में उल्लेखित समस्त उद्देष्यों की पूर्ति के लिये प्रयास करना। अलग–अलग समितियो का निर्माण कर कार्य सम्पादित करना।

(2) प्रतिवर्ष **"नर्मदा रत्न"** सम्मान प्रदान किये जाने हेतु एवं इसके लिये सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाले स्वजातीय समर्पित बंधु/बहन के नाम के, चयन के लिये एक समिति का निर्माण करना।

(3) समाज की समस्त चल एवं अचल सम्पत्तियों की सुरक्षा रख–रखाव की व्यवस्था और सहयोग (स्थानीय) क्षेत्रीय इकाईयों के/संस्थाओं/संगठनों/लोकन्यासों के या समितियों के माध्यम से करना।

(4) समाज की समस्त गुरुगादियों, मठों, मंदिरों, धर्मषालाओं एवं धार्मिक स्थलों आदि के संरक्षक हेतु आवष्यक कार्यवाही करना।

(5) समाज के सार्वजनिक हित के कार्यो को प्रोत्साहित करना।

(6) सामूहिक विवाह, उपनयन एवं विवाह परिचय सम्मेलनों के आयोजनों को प्रोत्साहित करना तथा दहेज प्रथा एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति समाज में जागृति लाना।

(7) पारिवारिक विवादों/वैवाहिक विवादों के समाधान हेतु सुलह समितियों का गठन करना।

(8) समाज के असहाय बच्चों, पुरुषों, युवाओं, युवतियों एवं महिलाओं को आर्थिक एवं अन्य सहायता, कोष होने पर प्रदान करना।

(9) महासभा की समस्त क्षेत्रीय इकाईयों की गतिविधियों का समय–समय पर अवलोकन कर उन्हें सहयोग एवं मार्गदर्षन प्रदान करना।

(10) महासभा के कोष में वृद्धि हेतु निरंतर प्रयास करना।

**(11)** विभिन्न इकाईयों के क्षेत्र का यदि कोई सामाजिक विवाद महासभा की कार्यकारिणी की जानकारी में लाया जाता है, तो उनके निराकरण हेतु पहल करना एवं विवाद का निराकरण समाज हित में करना।

**(12)** समाज की जनगणना हेतु कारगर प्रयत्न करते हुए जनगणना कार्य सम्पन्न कराना।

**(13)** महासभा के कोष से एक बार में रुपये 50,000/– (पचास हजार) से अधिक राषि व्यय करके की आवष्यकता पड़ने पर इसे स्वीकृति हेतु कार्यकारिणी के समक्ष रखा जाकर स्वीकृति प्राप्त की जा सकेगी।

**(14)** किसी भी प्रकार की कोई भी सामाजिक समस्या या विवादों (पारिवारिक/वैवाहिक पति–पत्नी से सम्बन्धित, संपत्ति संबंधी आदि को कोई भी) के निपटारे, सुलह हेतु एक स्थाई **"नार्मदीय समाज मध्यस्थता विवाद प्रतितोष आयोग (मीडिएषन बोर्ड)** का गठन कर उस विवाद को सुलझाने का प्रयास करना। **"नार्मदीय समाज मध्यस्थता विवाद प्रतितोष आयोग, (मीडिएषन बोर्ड)** से तात्पर्य है कि, कार्यकारिणी द्वारा गठित 5 व्यक्तियों की विषेषज्ञ पेनल जो उक्त विवादों को समझकर, समझाकर, सुलझाने में विषेषज्ञ हो। यह पेनल महासभा की कार्यकारिणी द्वारा ही समन्वय से गठित की जावेगी।

**(15)** विभिन्न सरकारी योजनाओं को समाज हित में प्रचारित, प्रसारित करने हेतु एवं उसका उपयोग, उपभोग समाज हित में हो सके, उस अनुसार समस्त समाजजनों तक इसकी जानकारी देने हेतु एक समिति का निर्माण करना जो इस कार्य को विधिवत सम्पादित कर सके। इन समिति या समितियों में हर इकाई स्तर पर कार्य हो और उन हर समाजजन तक यह सुविधाएं पहुँच सके, जो इन सरकारी योजनाओं की परिधि में आते हों। समिति या समितियों का गठन योग्यता एवं सुविधा अनुसार महासभा की कार्यकारिणी कर सकती है, जिसमे एक समति में अधिकतम सदस्यो की संख्या 5 होगी।

**(16) महासभा की कार्यकारिणी के अधीन अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महासभा महिला संगठन, अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महासभा युवक संगठन**

**और अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महासभा युवती संगठन कार्य करेगें परन्तु सभी की कार्यकारिणी और कार्य स्वतंत्र होंगे। समय–समय पर आवष्यकता पड़ने पर महासभा कार्यकारिणी इन सभी को मार्गदर्षन प्रदान करेंगी।**

## धारा 22 (ए)

यदि महासभा की कार्यकारिणी या किसी भी संगठन, अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महासभा महिला संगठन, अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महासभा युवक संगठन एवं अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महासभा युवती संगठन के कोई भी पदाधिकारी या सदस्य महासभा के विरुद्ध कोई भी अपमानजनिक/असन्तोष फैलाने वाली टिप्पणी सार्वजनिक रुप से किसी भी कार्यक्रम के दौरान या बैठक में या सोषल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर करता है तो उस पर महासभा की कार्यकारिणी स्वयं संज्ञान लेकर विविध दंडात्मक कार्यवाही कर सकती है या फिर उस प्रकरण को अनुषासन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है, जिस पर अनुषासन समिति स्वयं संज्ञान लेकर विधिवत दंडात्मक कार्यवाही कर सकती है।

**(बी) अनुषासन समिति का गठन/निर्माण, महासभा की कार्यकारिणी के निर्माण धारा 16(बी) अनुसार ही उसी कलावधि में किया जाना अनिवार्य होगा, जिनमें समाज के कुल 7 प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे जिनमें**

| | |
|---|---|
| 1 | संरक्षक |
| 2 | विधि विषेषज्ञ |
| 1 | महासभा की कार्यकारिणी का कोई भी पदाधिकारी या सदस्य |
| 1 | अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महिला संगठन की कार्यकारिणी का कोई पदाधिकारी या सदस्य |
| 1 | अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण युवा संगठन की कार्यकारिणी का कोई पदाधिकारी या सदस्य |
| 1 | अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण युवती संगठन की कार्यकारिणी का कोई पदाधिकारी या सदस्य |

.....

कुल 7

.....

## धारा 23

**संरक्षकगणों, महासभा अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों के कर्त्तव्य, अधिकार एवं दायित्व :–**

(1) **पदेन संरक्षण गणः–**

महासभा के सभी पदेन संरक्षकगण जिनके अनुभव एवं समाज में उनके द्वारा किये गये समस्त प्रकार के कार्यो से महासभा एवं संपूर्ण कार्यकारिणी लाभ प्राप्त कर सकती है, सलाह ले सकती है। समय–समय पर मार्गदर्षन प्राप्त कर महासभा समाज हित में उसका उपयोग कर सकती है। समस्त संरक्षकगण संविधान के तहत ही अपनी सलाह एवं मार्गदर्षन प्रदान करेंगे।

(2) **मनोनीत या निर्वाचित अध्यक्षः–**

महासभा के संविधान का पालन करना व महासभा की कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करना। महासभा के अंतर्गत तीनों संगठनों की समस्त कार्यकारिणी को साथ लेकर चलना एवं समाजहित की कार्य योजनाएँ बनाकर उन्हें क्रियान्वयित करना। सभी के साथ आपसी सामंजस्य के साथ कार्य करना एवं समय–समय पर विधि अनुरुप निर्देष एवं मार्गदर्षन देना।

(3) महासभा की समस्त गतिविधियों का संविधान एवं पारित प्रस्ताव के अनुसार संचालन करना एवं उसका क्रियान्वयन करना।

(4) समाज की समस्त क्षेत्रीय इकाईयों में, क्षेत्रीय प्रवास कर, इकाईयों द्वारा समाज हित में सम्पादित की जा रही गतिविधियों, व रचनात्मक कार्यो को व्यक्तिगत रुप से प्रोत्साहित करना व मार्गदर्षन प्रदान करना।

(5) प्रचार सचिव के माध्यम से समाज हित के कार्यो का समाजजन के मध्य प्रचार, प्रसार एवं महासभा का समस्त पत्राचार आदि का कार्य सम्पादित करवाना।

(6) कार्य के विस्तार का आंकलन करते हुए कार्यकारिणी में अतिरिक्त पदाधिकारियों/सदस्यों को मनोनीत करना।

(7) महासभा अध्यक्ष स्वविवेक से समाज के हित में किसी महत्वपूर्ण कार्य हेतु एक समय में रुपये 50,000/– तक कोष में से व्यय कर सकेंगे, जिसकी पुष्टि कार्यकारिणी से करवाना अनिवार्य होगा।

(8) समाज के परिजनों व क्षेत्रीय इकाईयों के विभिन्न क्षेत्रों में आपसी प्रेम, स्नेह, सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित करने हेतु कार्यकारिणी के सहयोग से निरंतर प्रयत्नषील रहना।

(9) समाज के परिजनों व क्षेत्रीय इकाईयों के समस्त क्षेत्रों के मध्य कोई भी मतभेद अथवा विवाद होने की स्थिति में व्यक्तिगत रुचि लेकर ऐसे मतभेद अथवा विवाद का कार्यकारिणी एवं समाज के प्रतिष्ठित, प्रबुद्ध वर्ग एवं संरक्षकगणों के सहयोग से शीघ्र निराकरण करना।

(10) महासभा अध्यक्ष कार्यकारिणी गठन (धारा 16 अनुसार) के पष्चात पदाधिकारियों के मध्य कार्य का विभाजन करेंगे। समस्त पदाधिकारीगण, महासभा अध्यक्ष के निर्देष अनुसार अपने–अपने क्षेत्रीय इकाई में भ्रमण करेंगे व उनके मार्गदर्षन में कार्य सम्पादित करवायेंगे। कार्य का विभाजन महासभा अध्यक्ष के स्वविवेक से होगा जो कभी भी परिवर्तित किया जा सकता है।

(11) समस्त महासभा कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के एवं सदस्यों के कार्यो के सम्बन्ध में मतभेद होने पर महासभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

(12) महासभा अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि, वह उसकी कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को समय–समय पर समाजहित के कार्यो के लिये संविधान अनुसार निर्देष दे सकेगा साथ ही साथ उन सभी से किये गये कार्यो के बारे में भी पूछताछ कर सकेगा। महासभा अध्यक्ष को यदि यह प्रतीत होता है कि, उसकी कार्यकारिणी का कोई भी पदाधिकारी या सदस्य समाज हित के कार्यो में निष्क्रिय है या उसके विधिवत दिये गये निर्देषो का उल्लंघन कर रहे हैं या संविधान के विपरीत कोई कार्य कर रहे हैं तो वे वह उन्हें सूचना पत्र एवं सुनने का अधिकार देकर, स्वंय के संतुष्ट ना होने पर पदमुक्त (पद से हटाना) कर सकता है एवं उनके स्थान पर अन्य को मनोनीत भी कर सकता है।

**(बी) उपाध्यक्ष :–**

महासभा की कार्यकारिणी द्वार लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन में महासभा अध्यक्ष के निर्देषानुसार सहयोग प्रदान करना व महासभा अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर निर्देषित कार्यो का कुषलतापूर्वक निर्वहन करना।

**(सी) महामंत्री :–**

(1) महासभा की विभिन्न कार्यवाहियों का रिकॉर्ड रखना।

(2) बैठकों की कार्य एवं निर्णयों का लेखाजोखा रखकर आगामी बैठकों में उसका अनुमोदन करवाना।

(3) महासभा के अध्यक्ष के निर्देषानुसार, कार्यकारिणी की बैठक आमंत्रित करना तथा पत्र व्यवहार, जानकारियों का आदान प्रदान, सूचना देना, अन्य सम्बन्धित व्यवस्थाएँ निष्पादित करना।

(4) महासभा अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर आदेषित कार्यो का कुषलतापूर्वक निर्वहन करना।

**(डी) मंत्री :–**

(1) महासभा अध्यक्ष के निर्देषानुसार महामंत्री के कार्यो में सहयोग करना व महासभा अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर आदेषित कार्यो का कुषलतापूर्वक निर्वहन करना।

**(इ) कोषाध्यक्ष :–**

(1) महासभा की सभी आय–व्यय का हिसाब रखना, कैषबुक, बैंक अकाउंट, रसीद बुक, वाउचर आदि का लेखाजोखा रखना एवं लेखा का ऑडिट प्रतिवर्ष करवाकर कार्यकारिणी के समक्ष रिकॉर्ड सहित प्रस्तुत करना।

(2) महासभा के कोष में प्राप्त होने वाली आय की प्राप्ति हेतु विषेष प्रयास करना, इस हेतु क्षेत्रीय इकाईयों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करना तथा ऐसी

प्राप्त होने वाली आय का संपूर्ण लेखाजोखा नियमानुसार रखना व लेखा का ऑडिट प्रतिवर्ष करवाकर कार्य कारिणी के समक्ष रिपोर्ट सहित प्रस्तुत करना।

**(एफ) सहकोषाध्यक्ष :–**

कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्य को करना। कोषाध्यक्ष के साथ स्वयं समन्वयपूर्वक कार्य का निर्वहन करना।

**(जी) संगठन मंत्री :–**

महासभा के अंतर्गत आने वाली समस्त क्षेत्रीय इकाईयों में, संस्था, संगठन, लोकन्यास या समतियों में, समाज जनों के मध्य सामाजिक संगठन को लेकर प्रयास करना। एकता के लिये/सामंजस्य के लिये समिति का निर्माण कराना हो तो कार्य कारिणी के साथ मिलकर बनाना और समाज में एक मजबूत संगठन का निर्माण करना।

**(एच) प्रचार सचिव :–**

महासभा से सम्बन्धित सभी प्रकार के सामाजिक कार्यो का प्रचार प्रसार विभिन्न माध्यमों से समाजजनों के मध्य करना। महासभा की विभिन्न योजनाओं के तहत समाज हित में प्रचार–प्रसार करना। महासभा की समस्त क्षेत्रीय इकाईयो के अंतर्गत आने वाले समस्त समाजजनों को महासभा से सम्बन्धित जानकारियॉ, सूचना आदि पहुँचे, इसके लिये कार्य करते रहना। महासभा के बारे में ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्रों में जहॉ जानकारी का अभाव हो वहॉ जानकारियाँ पहुँचाना एवं महासभा की विभिन्न योजनाओं की जानकारियों देना।

## धारा 24

**महासभा की कार्यकारिणी की बैठक एवं कार्य :–**

**(ए) सामान्य**

(1) कार्यकारिणी की बैठक वर्ष में कम से कम 3 बार होना अनिवार्य होगा।

(2) कार्यकारिणी के 1/3 सदस्यो द्वारा आवेदन देने पर, मौखिक निवेदन पर भी कार्यकारिणी की विषेष बैठक महासभा अध्यक्ष द्वारा आयोजित की जा सकेगी।

(3) कार्यकारिणी की बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व सम्बन्धित पदाधिकारियों और सदस्य को दी जावेगी।

(4) कार्यकारिणी का पूरा कोरम उसकी कुल संख्या का 1/3 होगा, यदि बैठक के नियत समय पर यह पूरा नहीं होता है तो बैठक को आधे घंटे स्थगित कर पुनः आधे घंटे बाद शुरु किया जायेगा, इस स्थिति में भी यदि कोरम का अभाव हो तो भी बैठक में उपस्थित पदाधिकारियो एंव सदस्यों द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(5) कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करने का दायित्व महासभा अध्यक्ष एवं महामंत्री का रहेगा।

(6) महामंत्री द्वारा कार्यकारिणी की बैठक की कार्यवाही एक निर्धारित रजिस्टर में अंकित की जाकर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर/नाम लिखे जायेंगे।

(7) महासभा की कार्यकारिणी, विभिन्न स्थानों पर कार्यरत समाज की समस्त संस्थाओं, संगठनो, लोकन्यास, समितियों एवं गुरु गादियों को महासभाा में पंजीयन कराने हेतु विषेष प्रयास करेगी तथा ऐसे समस्त

स्थानों पर भ्रमण कर सभी संबंधितो को महासभा में पंजीयन हेतु प्रेरित करेगी।

**(बी) कोष संबंधी :–**

(1) महासभा का कोष महासभा अध्यक्ष के निर्देषानुसार राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाकर ही रखा जायेगा।

(2) बैंक में महासभा के खाते का संचालन महासभा अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष अथवा महासभा अध्यक्ष एवं महामंत्री के संयुक्त हस्ताक्षरों से ही होगा।

(3) कार्यकारिणी मे महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष द्वारा अपने कर्त्तव्यों के अनुसार निम्नलिखित रिकॉर्ड रखे जावेगें।

(1) केष बुक (2) कार्यवाही/प्रोसिडिंग बुक

(3)स्टॉक रजिस्टर (4) बैंक में महासभा की चल–अचल सम्पत्ति का रजिस्टर

(5) मतदाता सदस्यों का रजिस्टर

(6) आवक जावक रजिस्टर

(7) रसीद बुक (8) एजेन्डा रजिस्टर व अन्य जो आवष्यक हो।

(9) महत्वपूर्ण समस्त अभिलेखो का सरंक्षण एवं संधारण करना।

## धारा 25

**<u>वार्षिक साधारण सभा :–</u>**

महासभा प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण सभा आयोजित/आहूत करेगी। इसमें निम्न प्रतिनिधी/पदाधिकारी/सदस्य भाग लेंगे।

(1) महासभा अध्यक्ष एवं महासभा की कार्यकारिणी (धारा 16 ए अनुसार)

(2) महासभा के पदेन संरक्षगण

(3) समस्त क्षेत्रीय इकाईयों के पदाधिकारीगण एवं सदस्य (धारा 12 अनुसार)

(4) युवक संगठन की कार्यकारिणी (धारा 34 (डी)/(ए) अनुसार

(5) युवती संगठन की कार्यकारिणी (धारा 34 (डी)/(बी) अनुसार

(6) महासभा कार्यकारिणी के द्वारा आमंत्रित विषेष सदस्यगण

(7) समस्त इकाईयों का यह दायित्व होगा कि, वे वार्षिक साधारण सभा की सूचना सभी सम्बन्धितों को अनिवार्य रुप से दें। वार्षिक साधारण सभा में पूरे वर्ष के आय–व्यय के ब्यौरे प्रस्तुत किये जावेंगे तथा इसे स्वीकृति हेतु वार्षिक साधारण सभा में रखा जावेगा। इस सभा में अन्य महत्वपूर्ण विषय महासभा अध्यक्ष की अनुमति से रखे जावेंगे तथा पारित किये जाने की दषा में 1/3 उपस्थित बहुमत से स्वीकृत कर पारित किये जायेंगे।

वार्षिक साधारण सभा या विषेष साधारण सभा का पूरा कोरम उसकी कुल संख्या का 1/3 होगा। यदि साधारण सभा में या विषेष साधारण सभा में तय समय पर यह पूरा नहीं होता तो सभा को आंधे घंटे स्थगित कर, पुनः शुरु किया जावेगा। ऐसी स्थिति में भी यदि कोरम का अभाव हो तो सभा में उपस्थित पदाधिकारियों/ सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा।

## धारा 26

### कोष एवं आय के स्त्रोत

(1) समस्त क्षेत्रीय इकाईयाँ एंव हर तीन वर्ष में उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रहने वाले हर सदस्य से, इकाई कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क प्राप्त कर महासभा कार्यकारिणी से सामंजस्य कर उसका 25 प्रतिषत अंष महासभा कोष में जमा करवायेगी।

(2) समाज के समस्त संस्थाओं, संगठनों, लोक न्यास एवं समतियों से प्रतिवर्ष रुपये 5,000/– पंजीयन शुल्क प्राप्त करना। इस राषि को महासभा की कार्यकारिणी समयानुसार बढ़ा भी सकती है।

(3) समाज की चल अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय।

(4) समाज के दानदाताओं से प्राप्त अनुदान राषि

(5) विभिन्न सामाजिक सम्मेलनों/कार्यक्रमों के समय प्राप्त होने वाले प्रतिनिधि शुल्क के लाभ का 25 प्रतिषत राषि महासभा को अनिवार्य रुप से देय होगी।

(6) महासभा कार्यकारिणी द्वारा सतत् सक्रिय प्रयास कर स्थाई/अस्थाई कोष सृजित करना एवं उसके उपयोग की पारदर्षी प्रक्रिया निर्धारित करना।

(7) महासभा की कार्यकारिणी भी कोष एवं आय के स्त्रोत में वृद्धि हेतु अपना–अपना आर्थिक योगदान आपसी रुप से बैठक में तय कर अनिवार्य रुप से देगी।

## धारा 27

**महासभा कार्यकारिणी द्वारा कोष की राषि में से व सावधि जमा की ब्याज की राषि में से व्यय किया जानाः**

(1) **"अक्षत कोष"** हेतु प्राप्त राषि महासभा के **"अक्षत कोष"** से सम्बन्धित बैंक खाते में स्थाई रुप से, सावधि जमा रहेगी तथा उसकी ब्याज राषि का ही उपयोग कार्यकारिणी अपने कार्य संचालन हेतु कर सकेगी, दिनांक 23/09/2012 में पारित प्रस्ताव अनुसार निम्न सात सदस्यों के नाम से अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महासभा अक्षत कोष के नाम से एक सेविंग अकाउंट राष्ट्रीयकृत बैक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्कीम नंबर 54, ब्रान्च इन्दौर (म.प्र.) में खोला गया है, जिसका अकाउंटनंबर **543702010015688** है, तथा सात सदस्यों के नाम निम्नानुसार हैं :–

(1) श्री सुदेष शान्डिल्यजी (भोपाल) (2) श्री मधु गागर्वजी (भोपाल)

(3) श्री महन्त ओंकारदासजी (भादू गांव) (4) श्री के.के. निलोसेजी (इन्दौर)

(5) श्रीमती पूर्णिमा बार्चे (खरगोन) (6) श्री महेन्द्र शुक्लाजी (खंडवा)

(7) श्री षैलेन्द्र पुरेजी (इन्दौर)

उपरोक्त सेविंग अकाउंट में जमा राषि रुपये 10,000/– से अधिक राषि सावधि जमा (फिक्स डिपॉजिट) के रुप में जमा की जावेगी। उपरोक्त सेविंग अकाउंट से केवल ब्याज की राषि दिनांक 23/09/2012 में पारित प्रस्ताव अनुसार दूसरे सेविंग एकाउंट नंबर **543702010015769** जो कि, उपरोक्त वर्णित यूनियन बैक ऑफ इंडिया की शाखा में खोला गया है, में जमा की जायेगी, तथा प्रथम सेविंग एकाउन्ट में से, किसी भी जमा राषि को ब्याज के अतिरिक्त निकालने का अधिकार नहीं होगा, दूसरे सेविंग एकाउंट नंबर **543702010015769** से महासभा की कार्यकारिणी को धारा 22 (13) में दर्षायी गई प्रक्रिया अनुसार खर्च करने का अधिकार होगा।

(2) अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महासभा अक्षत कोष के प्रथम सेविंग एकाउन्ट जिसका नंबर **543702010015688** को संचालित करने वाले 7 सदस्यों में से किसी सदस्य द्वारा अपना नामा वापिस लिया जाता है, या किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, या कोई सदस्य अन्य किसी कारण से सम्बन्धित कर्त्तव्य पालन में असमर्थ हो जाता है, ऐसी दषा में अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महासभा कार्यकारिणी बहुमत से समाज के किसी सम्मानित व्यक्ति का नाम बैक के प्रथम सेविंग एकाउन्ट नंबर **543702010015688** में प्रतिस्थापित कर सकेगी।

(3) **उक्त धारा 27 (1) एवं (2) में यदि समाज हित में परिवर्तन या संषोधन करना किसी भी कारण से जरुरी प्रतीत होता है तो, महासभा की आम सभा या विषेष साधारण सभा में किये जाने वाले परिवर्तन या संषोधन को रखकर उसे पारित किया जा सकता है, जो धारा 25(8) अनुसार किया जावेगा।**

# भाग –4

## अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महिला संगठन

### धारा 28

**अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महिला संगठनः–**

(ए) गठन :–

नार्मदीय ब्राह्मण महिलाओं के सर्वागीण विकास हेतु अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महिला संगठन का गठन किया जायेगा।

(बी) उद्देष्य :–

(1) महिलाओं को नार्मदीय ब्राह्मण समाज की समस्त परम्पराओं, रीति रिवाजों, तीज त्यौहारों, पारम्परिक भोजन एवं पहनावा, गणगौर एवं विवाह के समय गाये जाने वाले पारम्परिक गीत, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की महत्ता बताना, जिसमें वे उन्हें अपने आचरण में समावेष कर अपने परिवार सहित एक अच्छा व्यवस्थित परिवार व समाज का निर्माण कर सके।

(2) दूरस्थ तथा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओ में षिक्षा का प्रचार–प्रसार करना जिसमें वे कम से कम स्नातक तक डिक्री प्राप्त कर स्वावलंबी बन सके।

(3) आर्थिक रुप से कमजोर व असहाय महिलाओं के रोजगार के लिये उचित आश्रय प्राप्त हो सके उसकी व्यवस्था करना।

(4) समाज में पारिवारिक विघटन को रोकना तथा जहॉ इस बाबद् षिकायत प्राप्त हों वहॉ समाज की प्रबुद्ध महिलाओं द्वारा सम्बन्धित षिकायत का इस प्रकार निराकरण करना, जिससे परिवार विघटित ना हो तथा भविष्य में सुखद व सफल दांपत्य जीवन का निर्वाह कर सके।

(5) हिन्दु संस्कृति के अंतर्गत 16 संस्कारों (जैसे पुन्सवन संस्कार, अन्न प्राषन संस्कार, विद्यांरभ संस्कार, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार आदि) की आवष्यकता

व महत्व की जानकारी एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में समाज में जागृति पैदा करना तथा ऐसे सभी संस्कार समाज में हर परिवार में संपन्न करवाने का प्रयास करना।

(6) बच्चों को भारतीय परम्परओं/संस्कृति अनुसार सुसंस्कृत, ष्षालीन व श्रेष्ठ संस्कार प्रदान करना।

(7) श्री रामचरित मानस, श्रीमद्भगवद् गीता व अन्य धार्मिक ग्रंथ जिनसे चरित्र निर्माण होता है, ऐसे ग्रंथों के रोचक दृष्टांत बच्चों को सुनाना तथा भारत के महापुरुषों, ऋषि मुनियों, संत महात्माओं, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले समाज के महान व्यक्तियों, समाज के लिये कार्य करने वाले व्यक्तियों आदि के बारे में किये गये महान उत्कृष्ट कार्यो से बच्चों को अवगत करवाना, जिससे वे इन्हें अपने आचरण में उतारकर एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति बन सके एवं निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में जुड़ सके। इस सम्बन्ध में हर नगर, ग्राम, क्षेत्रीय इकाईयों में **बाल संस्कार शालाएँ** या कार्यक्रम आयोजित करना।

(8) बच्चियों एवं महिलाओं में उनके लिये बने कानूनों के तहत उनकी सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता हेतु जागृति पैदा कर उन्हें आत्मनिर्भर एवं स्वयं की सुरक्षा हेतु तैयार करना एवं उक्त समस्त उप धाराओं के अंतर्गत अलग–अलग समितियों का निर्माण कर कार्य करना।

(9) दिव्यांग छात्र छात्राओं एवं दिव्यांग व्यक्तियों के अध्ययन एवं छात्रावास की व्यवस्था करना।

(10) महिला सिलाई केन्द्र स्थापित करन निर्धन महिलाओं को प्रषिक्षण देना।

(11) महिलाओं को रोजगार हेतु प्रषिक्षण देना।

(12) महिला स्व सहायता समूह बनाना।

(13) महिला वृद्ध आश्रम का निर्माण एवं उसे संचालित करना।

(14) महिला साक्षरता हेतु कार्य करना।

(15) रेल्वे प्लेटफार्म एवं शहरों के गरीब और जरुरतमंद बच्चों का पुनर्वास करना।

(16) शासन की विभिन्न योजनाओं के लिये समाज हित में प्रचार प्रसार करना।

(17) उद्देष्यों की पूर्ति हेतु शासन से किसी भी प्रकार की कोई सहायता मिलती है तो उसे लेकर उद्देष्यों को पूरा करना।

**(सी) पदेन संरक्षकगण :–**

महिला संगठन की सभी पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महिला संगठन की पदेन संरक्षकगण होगी।

**(डी) कार्यकारिणी :–**

(ए) अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महिला संगठन की कार्यकारिणी में निम्नलिखित पदाधिकारीगण एवं सदस्य होंगे :–

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | अध्यक्ष | :: | 1 | निर्वाचित |
| (2) | उपाध्यक्ष | :: | 7 | मनोनीत |
| (3) | महामंत्री | :: | 5 | मनोनीत |
| (4) | मंत्री | :: | 4 | मनोनीत |
| (5) | कोषाध्यक्ष | :: | 1 | मनोनीत |
| (6) | सहकोषाध्यक्ष | :: | 1 | मनोनीत |
| (7) | संगठन मंत्री | :: | 1 | मनोनीत |
| (8) | प्रचार सचिव | :: | 1 | मनोनीत |
| (9) | सदस्य | :: | 14 | मनोनीत |
| | **कुल** | **::** | **35** | |

**(बी)** महिला संगठन अध्यक्ष द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अधिकतम 2 माह की अवधि में उक्त धारा 28(डी) (ए) में वर्णित कार्यकारिणी का गठन अनिवार्यतः किया जायेगा।

**(3)** कार्यकारिणी में किसी भी पदाधिकारी या सदस्य का पद किसी भी कारण से रिक्त होने पर महिला संगठन अध्यक्ष द्वारा कार्यकारिणी के परामर्ष से रिक्त पद की पूर्ति की जायेगी।

**(4)** महिला संगठन अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि, वह उसकी कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को समय–समय पर समाजहित के कार्यो के लिये संविधान अनुसार निर्देष दे सकेगी साथ ही साथ उन सभी से किये गये कार्यो के बारे में भी पूछताछ कर सकेगी। महिला संगठन अध्यक्ष को यदि यह प्रतीत होता है कि, उसकी कार्यकारिणी का कोई भी पदाधिकारी या सदस्य समाज हित के कार्यो में निष्क्रिय है या उसके विधिवत दिये गये निर्देषो का उल्लंघन कर रहे हैं या संविधान के विपरीत कोई कार्य कर रहे हैं तो वे उन्हें सूचना पत्र एवं सुनने का अधिकार देकर, स्वंय के संतुष्ट ना होने पर पदमुक्त (पद से हटाना) कर सकती है एवं उनके स्थान पर अन्य को मनोनीत भी कर सकती है।

## धारा 29

**महिला संगठन की कार्यकारिणी का कार्यकाल :–**

महिला संगठन की कार्यकारिणी का कार्यकाल महिला संगठन अध्यक्ष द्वारा निर्वाचित/मनोनीत होने की दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि का होगा।

## धारा 30

**महिला संगठन अध्यक्ष का निर्वाचन/चुनाव होने पर मतदाता सदस्य निम्नानुसार होंगें :–**

(1) महिला संगठन की समस्त संरक्षकगण।

(2) प्रत्येक क्षेत्रीय इकाईयों से दो महिला सदस्य, जिन्हें क्षेत्रीय इकाईयों की कार्यकारिणी सर्वसम्मती से तय करेगी। किसी भी विवाद की स्थिति में वह क्षेत्रीय इकाई समस्त सदस्यों की आम सभा आहूत कर सर्वसम्मति से या बहुमत के आधार पर निर्वाचित क रनाम तय करेगी।

## धारा 31

**महिला संगठन अध्यक्ष का कार्यकाल :–**

महिला संगठन की निर्वाचित या मनोनीत अध्यक्ष द्वारा उनके निर्वाचन/मनोनयन दिनांक से उनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा।

## धारा 32

**महासभा की महिला संगठन की अध्यक्ष का निर्वाचन/चुनावः–**

(1) महिला संगठन अध्यक्ष का निर्वाचन/चुनाव होने पर मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी के निर्देषानुसार उसी दिन होगा, जिस दिन महासभा अध्यक्ष का चुनाव होगा।

(2) महिला संगठन अध्यक्ष पद की उम्मीदार वही महिला होगी, जो महासभा की किसी क्षेत्रीय इकाई की मतदाता सदस्य होगी और उसके विरुद्ध किसी भी भारतीय न्याय प्रणाली/न्यायालय/अधिकरण द्वारा उसे दंडित ना किया गया हो, जो आर्थिक विनिमित्ताओं/आर्थिक अपराध, छल एवं रिष्टी (चीटिंग एंव मिस्चीफ) से संबंधित हो, इसके अलावा उसे भारतीय दण्ड संहिता के तहत आर्थिक, सामाजिक, नैतिक एवं मानवता के मूल्यों के प्रावधानों में दंडित ना किया गया हो।

**(3) अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महिला संगठन मे मनोनीत पदाधिकारीगणों एवं सदस्यों को महिला संगठन अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी। वे मतदान नहीं कर पायेंगे।**

**(4)** अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महिला संगठन अध्यक्ष के निर्वाचन/चुनाव हेतु धारा 30 में उल्लेखित मतदाता सदस्य ही मतदान करेंगे।

**(5)** मुख्य निर्वाचन अधिकारी उनकी निर्वाचन समिति (दोनों सहायक निर्वाचन अधिकारीगण) एवं समाज के वरिष्ठजनों के सहयोग व विचार विमर्ष से अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महिला संगठन अध्यक्ष हेतु आम सहमति बनाने का प्रयास करेगें। भारतवर्ष में चारों और फैले समाजजनों मे ंसे यदि रोटेषन पद्धति से भी आम सहमति बनती है तो इसका भी भरपूर प्रयास करेंगे। रोटेषन पद्धति से तात्पर्य है कि, समाजजनों के भारतवर्ष में अलग–अलग क्षेत्रों में निवासरत नार्मदीय ब्राह्मण समाज के सभी प्रतिष्ठित मतदाता सदस्य जो किसी एक नाम पर आम सहमति बनाने में अपनी–अपनी भूमिका रखते हैं, इन सभी से विचार–विमर्ष कर आम सहमति बनाने का प्रयास करेगें। आम सहमति के न बन पाने की दषा में मुख्य निर्वाचन/चुनाव अधिकारी, निष्पक्षता से, पारदर्षी रुप से, समाज हित को ध्यान में रखकर सर्वसुविधा के अनुसार एवं संविधान का पालन करते हुए निर्वाचन सम्पन्न करायेंगे।

**(6)** निर्वाचन का समस्त खर्च महासभा द्वारा वहन किया जायेगा या जिस क्षेत्रीय इकाई के क्षेत्राधिकार में निर्वाचन होना है, महासभा अपने स्वविवेक से उस इकाई या अन्य क्षेत्रीय इकाईयों के सहयोग से निर्वाचन का समस्त खर्च वहन करेगा।

**(7)** यदि किसी कारणवष मुख्य चुनाव/निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित दिनांक को निर्वाचन/चुनाव नहीं हो पाते हैं एवं महासभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो उस अवस्था में अनुषासन समिति या तो स्वयं महासभा की आमसभा/विषेष साधारण सभा आहूत कर तदर्थ समिति का गठन धारा 9 (एन) अनुसार ही कर, महिला संगठन अध्यक्ष का निर्वाचन सम्पन्न करवायेगी। यदि अगर अनुषासन समिति स्वयं निर्वाचन सम्पन्न करवाती है तो उस दषा में अनुषासन समिति और यदि तदर्थ

समिति महिला संगठन अध्यक्ष (पुरुष) का निर्वाचन सम्पन्न करवाती है तो उस दषा में तदर्थ समति ही पूरे निर्वाचन के खर्च का वहन करेगी।

(8) मतदाता सदस्य केवल एक ही बार मतदान कर सकेंगे, भले ही वे एक से अधिक पदों पर पदस्थ हों।

(9) निर्वाचन के तुरन्त बाद (यथाषीघ्र) मुख्य चुनाव/निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचित महिला संगठन अध्यक्ष को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे, जिसमें अध्यक्ष्य एवं कार्यकारिणी के कार्यकाल का स्पष्ट रुप से उल्लेख होगा।

(10) मुख्य चुनाव अधिकारी या सहायक चुनाव अधिकारियों (निर्वाचन समिति) पर किसी का भी, किसी भी प्रकार से, कहीं पर भी कोई अवैधानिक दबाव नहीं किया/दिया जावेगा और ना ही उनके निर्वाचन के कार्य में किसी के भी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप, किसी भी रुप में किया जावेगा। मुख्य निर्वाचन/चुनाव अधिकारी, निष्पक्षता से, पारदर्षी रुप से, समाज हित को ध्यान में रखकर सर्वसुविधा के अनुसार एवं संविधान का पालन करते हुए निर्वाचन सम्पन्न करायेंगे।

(11) महिला संगठन अध्यक्ष के पद पर किसी भी महिला का मनोनयन (सर्व सम्मति पष्चात) या निर्वाचन, निरंतरता में एक कार्यकाल से अधिक का ना होगा।

(12) मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित निर्वाचन/चुनाव प्रक्रिया के अनुसार धारा 30 में उल्लेखित मतदाता सदस्यों द्वारा मतदान करन बहुमत के आधार पर अध्यक्ष का चुनाव सम्पन्न कराया जायेगा।

(13) कोई भी मतदाता, मतदान के समय केवल एक ही बार ही मतदान कर सकेगा, भले ही वह एक से अधिक पदों पर पदस्थ हो।

(14) महिला संगठन अध्यक्ष पद पर किसी भी महिला का मनोनयन/निर्वाचन, निरंतरता में एक कार्यकाल से अधिक का नहीं होगा।

## धारा 32 (ए)

**महिला संगठन अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों के कर्त्तव्य, अधिकार एवं दायित्व :–**

**(बी) महिला संगठन अध्यक्ष :–**

(1) महासभा की समस्त गतिविधियों का संविधान एवं पारित प्रस्ताव के अनुसार संचालन करना, अपनी कार्यकारिणी को मार्गदर्षन प्रदान करना।

(2) महासभा के संविधान का पालन करना व महिला संगठन की कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करना। समस्त कार्यकारिणी को साथ लेकर चलना एवं समाजहित की कार्य योजना बनाकर उन्हें क्रियान्वयित करना। सभी के साथ आपसी सामंजस्य के साथ कार्य करना एवं समय–समय पर विधि अनुरुप निर्देष एवं मार्गदर्षन देना।

(3) प्रचार सचिव के माध्यम से समाज हित के कार्यो का समाजजन के मध्य प्रचार, प्रसार एवं महिला संगठन का समस्त पत्राचार आदि का कार्य सम्पादित करवाना।

(4) कार्य के विस्तार का आंकलन करते हुए कार्यकारिणी में अतिरिक्त पदाधिकारियों/सदस्यों को मनोनीत करना।

(5) समाज के परिजनों व क्षेत्रीय इकाईयों के विभिन्न क्षेत्रों में आपसी प्रेम, स्नेह, सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित करने हेतु कार्यकारिणी के सहयोग से निरंतर प्रयत्नषील रहना।

(6) समाज के परिजनों व क्षेत्रीय इकाईयों के समस्त क्षेत्रों के मध्य कोई भी मतभेद अथवा विवाद होने की स्थिति में व्यक्तिगत रुचि लेकर ऐसे मतभेद अथवा विवाद का कार्यकारिणी एवं समाज के प्रतिष्ठित, प्रबुद्ध वर्ग एवं संरक्षकगणों के सहयोग से शीघ्र निराकरण करना।

(7) महिला संगठन अध्यक्ष कार्यकारिणी गठन (धारा 28 (डी) (1) अनुसार) के पष्चात पदाधिकारियों के मध्य कार्य का विभाजन करेंगे। समस्त पदाधिकारीगण, महासभा अध्यक्ष के निर्देष अनुसार अपने–अपने क्षेत्रीय इकाई में भ्रमण करेंगे व उनके मार्गदर्षन में कार्य सम्पादित करवायेंगे। कार्य का विभाजन महिला संगठन अध्यक्ष के स्वविवेक से होगा जो कभी भी परिवर्तित किया जा सकता है।

(8) समस्त पदाधिकारी/महिला संगठन की कार्यकारिणी के एवं सदस्यों के कार्यो के सम्बन्ध में मतभेद होने पर महिला संगठन अध्यक्ष का निर्णय अतिम होगा।

(9) बाकी अन्य सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों के कर्त्तव्य, अधिकार एवं दायित्व, धारा 23 में उल्लेखित अनुसार, अपने संगठन को ध्यान में रखकर वहन किये जायेंगे।

## धारा 33

**महिला संगठन की कार्यकारिणी का गठन एवं महासभा के सम्मेलन की रुप रेखा**

(1) महासभा की महिला संगठन की कार्यकारिणी की पदाधिकारी/सदस्य केवल वे हीं महिला होंगी जो क्षेत्रीय इकाई (धारा 10) में उल्लेखित की सदस्य होंगी।

(2) निर्वाचित/मनोनीत महिला संगठन अध्यक्ष महासभा महिला संगठन की कार्यकारिणी का गठन धारा 28(डी) (ए) अनुसार ही करेगी। इसकी समय सीमा धारा 28(डी) (बी) अनुसार ही रहेगी।

(3) महासभा कार्यकारिणी के गठन के पष्चात महासभा अध्यक्ष कार्यकारिणी की समस्त मनोनीत पदाधिकारियों एवं सदस्यों की जानकारियों को उनके नाम के उल्लेख के साथ समाज के समस्त पत्र/पत्रिकाओं में प्रकाषन हेतु देंगे। इसके साथ ही धारा 10 में वर्णित समस्त क्षेत्रीय इकाईयो के अध्यक्षों को भी प्रेषित करेंगे।

(4) महिला संगठन महासभा के सम्मेलन के समापन के 3 माह की समयावधि में सम्मेलन में सम्पन्न हुई कार्यवाही, गतिविधियों, विचार विमर्ष एवं अन्य निष्कर्ष एवं

निर्णयों के सम्बन्ध में अपना विस्तृत प्रतिवेदन प्रसारित करेगी। जो पत्र पत्रिकाओं, सोषल मीडिया आदि माध्यमों के जरिये होगा।

(5) महिला संगठन में यदि किसी भी प्रकार का कोई विवाद या अवैधानिक कार्य किसी भी पदाधिकारी या सदस्य द्वारा किसी को भी दिखता है तो वह अन्य सदस्य या पदाधिकारी इसकी षिकायत अनुषासन समिति को कर सकते हैं। षिकायत प्राप्त होने के पष्चात अनुषासन समिति उसके अधिकारों एवं संविधान के अंतर्गत कार्य करेगी।

# भाग 5

## अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण युवा संगठन महासभा

## ( अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण युवक संगठन एवं अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण युवती संगठन)

### धारा 34

**अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण युवक संगठन एंव अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण युवती संगठन, दोनों पृथक–पृथक होकर दोनों के कार्य भी स्वतंत्र रुप से पृथक–पृथक रुप से किये जायेंगे।**

(ए) गठन

**नार्मदीय ब्राह्मण युवकों एवं युवतियों के सर्वांगीण विकास हेतु अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण युवक संगठन एवं अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण युवती संगठन का गठन पृथक–पृथक रुप से किया जायेगा।**

(बी) उद्देष्य :–

(1) समाज के युवक एवं युवतियों को नार्मदीय ब्राह्मण समाज की समस्त परम्पराओं, रीति रिवाजों, तीज त्यौहार, पारम्परिक भोजन एवं पहनावा, गणगौर एवं विवाह के समय गाये जाने वाले पारम्परिक गीत, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की महत्ता बताना, जिसमें वे उन्हें अपने आचरण में समावेष कर अपने परिवार सहित एक अच्छा व्यवस्थित परिवार व समाज का निर्माण कर सके।

(2) दूरस्थ तथा ग्रामीण क्षेत्र में, समाज के युवक एवं युवतियों में षिक्षा का प्रचार–प्रसार करना जिसमें वे कम से कम स्नातक तक डिक्री प्राप्त कर स्वावलंबी बन सके।

(3) आर्थिक रुप से कमजोर व असहाय समाज के युवक एवं युवतियों के रोजगार के उचित आश्रय प्राप्त हो सके उसकी व्यवस्था करना।

(4) समाज में पारिवारिक विघटन को रोकना तथा जहॉ इस बाबद् षिकायत प्राप्त हो वहॉ समाज के प्रबुद्धजनों के माध्यम द्वारा सम्बन्धित षिकायत का इस प्रकार निराकरण करना, जिससे परिवार विघटित ना हो तथा भविष्य में सुखद व सफल दांपत्य जीवन का निर्वाह कर सके।

(5) हिन्दु संस्कृति के अंतर्गत 16 संस्कारों (जैसे पुन्सवन संस्कार, अन्न प्राषन संस्कार, विद्यांरभ संस्कार, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार आदि) की आवष्यकता एवं महत्व की जानकारी एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में समाज में जागृति पैदा करना तथा ऐसी सभी संस्कार समाज में हर परिवार में संपन्न करवाने का प्रयास करना।

(6) बच्चों को भारतीय परम्परओं/संस्कृति अनुसार सुसंस्कृत, षालीन व श्रेष्ठ संस्कार प्रदान करना।

(7) श्री रामचरित मानस, श्रीमद्भगवद् गीता व अन्य धार्मिक ग्रंथ जिसमें चरित्र निर्माण होता है, ऐसे ग्रंथों के रोचक दृष्टांत बच्चों को सुनाना तथा भारत के महापुरुषों, ऋषि मुनियों, संत महात्माओं, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले समाज के महान व्यक्तियों, समाज के लिये कार्य करने वाले व्यक्तियों आदि के बारे में किये गये महान उत्कृष्ट कार्यो से बच्चों को अवगत करवाना, जिससे वे इन्हें अपने आचरण में उतारकर एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति बन सके एवं निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में जुड़ सके। इस सम्बन्ध में हर नगर, ग्राम, क्षेत्रीय इकाईयों में बाल संस्कार शलाएँ या कार्यक्रम आयोजित करना।

(8) समाज के वे युवक और युवतियाँ जो महानगरों अर्थात मुबई, देहली, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे व अन्य महानगरों तथा विदेषों में प्रतिष्ठित संस्थानो में अच्छे पदों पर कार्यरत हैं, या वे स्वयं का व्यवसाय करते हैं, उनका समूह बनाकर, उनसे मार्गदर्षन/सलाह प्राप्त कर, ऐसे युवक एवं युवतियाँ जो समाज के दूरस्थ क्षेत्रों में निवासरत होकर बेरोजगार हैं, उन्हें मार्गदर्षन/सलाह प्रदान करना, जिससे उन्हें उचित रोजगार प्राप्त हो सके और इस प्रकार प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्यरत युवक एवं युवतियों और स्वयं का व्यवसाय संचालित कर रहे समाज के प्रतिष्ठित युवक

एवं युवतियां व समाज के ही बेरोजगार युवक एवं युवतियों के मध्य एक सेतु का कार्य करना।

(9) शासन की विभिन्न योजनाओं, उद्योग विभाग, लघु उद्योग निगम व अन्य संस्थाओं, जिनके माध्यम से समाज के युवकों एवं युवतियों को रोजगार प्राप्त हो सकता है, उसके लिये विषेषज्ञों को आमंत्रित कर उनसे मार्गदर्षन/सलाह प्राप्त करने हेतु सेमीनार/कार्यषालाएं आयोजित करना।

(10) समस्त उद्देष्यों के सम्बन्ध में समय–समय पर क्षेत्रीय इकाईयों में समितियाँ बनाकर कार्यक्रम आयोजित करना। समिति/समितियों का निर्माण, उद्देष्य की पूर्ति हेतु कार्यकारिणी की सहमति से करना और उसे पूरा करने का प्रयास करना।

(11) महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में अपना पूर्ण सहयोग करना तथा महासभा के निर्देषन में अपने "उद्देष्यों" से सम्बन्धित समस्त कार्यक्रम आयोजित करना।

**(सी) पदेन संरक्षकगण –**

अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण युवक संगठन एंव अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण युवती संगठन के सभी निवृतमान पूर्व अध्यक्ष जिनकी आयु 50 वर्ष तक की है, वे युवक एवं युवती संगठनों के पृथक–पृथक पदेन संरक्षक होगें।

**(डी) कार्यकारिणी –**

(ए) अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण युवक संगठन की कार्यकारिणी में निम्न पदाधिकारी/सदस्य होंगे।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | अध्यक्ष | :: | 1 | निर्वाचित |
| (2) | उपाध्यक्ष | :: | 7 | मनोनीत |
| (3) | महामंत्री | :: | 5 | मनोनीत |
| (4) | मंत्री | :: | 5 | मनोनीत |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (5) | कोषाध्यक्ष | :: | 1 | मनोनीत |
| (6) | सहकोषाध्यक्ष | :: | 1 | मनोनीत |
| (7) | संगठन मंत्री | :: | 1 | मनोनीत |
| (8) | प्रचार सचिव | :: | 1 | मनोनीत |
| (9) | सदस्य | :: | 15 | मनोनीत |

**कुल :: 36**

**(बी)** अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण युवती संगठन की कार्यकारिणी में निम्न पदाधिकारी/सदस्य होंगे।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | अध्यक्ष | :: | 1 | निर्वाचित |
| (2) | उपाध्यक्ष | :: | 7 | मनोनीत |
| (3) | महामंत्री | :: | 5 | मनोनीत |
| (4) | मंत्री | :: | 5 | मनोनीत |
| (5) | कोषाध्यक्ष | :: | 1 | मनोनीत |
| (6) | सहकोषाध्यक्ष | :: | 1 | मनोनीत |
| (7) | संगठन मंत्री | :: | 1 | मनोनीत |
| (8) | प्रचार सचिव | :: | 1 | मनोनीत |
| (9) | सदस्य | :: | 15 | मनोनीत |

**कुल :: 36**

**(सी)** उक्त दोनो कार्यकारिणी (ए) व (बी) का गठन नवनिर्वाचित/मनोनीत अध्यक्षों के (पृथक–पृथक रुप से) निर्वाचन/मनोनयन दिनांक से अधिकतम 2 माह की अवधि में अनिवार्यतः किया जायेगा।

**(डी)** उक्त दोनो कार्यकारिणी (ए) व (बी) के पृथक–पृथक रुप से किसी पदाधिकारी या सदस्य का पद किसी कारण से रिक्त होने पर उक्त दोनों अध्यक्षों (पृथक–पृथक) द्वारा महासभा अध्यक्ष से विचार विमर्ष कर तथा दोनों अध्यक्षों की अपनी–अपनी कार्यकारिणी से परामर्ष कर उस रिक्त पद की पूर्ति की जायेगी।

**(इ)** अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण युवक संगठन एवं अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण युवती संगठन अध्यक्ष को पृथक–पृथक यह अधिकार होगा कि, वे उनकी कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को समय–समय पर समाजहित के कार्यो के लिये संविधान अनुसार निर्देष दे सकेगें, साथ ही साथ उन सभी से किये गये कार्यो के बारे में भी पूछताछ कर सकेंगे। उक्त दोनों अध्यक्षों को यदि, पृथक–पृथक यह प्रतीत होता है कि, उनकी कार्यकारिणी का कोई भी पदाधिकारी या सदस्य समाज हित के कार्यो में निष्क्रिय है या उनके विधिवत दिये गये निर्देषो का उल्लंघन कर रहे हैं या संविधान के विपरीत कोई कार्य कर रहे हैं तो वे उन्हें सूचना पत्र एवं सुनने का अधिकार देकर, स्वंय के संतुष्ट ना होने पर पदमुक्त (पद से हटाना) कर सकते हैं एवं उनके स्थान पर अन्य को मनोनीत भी कर सकते हैं।

## धारा 35

**<u>युवक संगठन एवं युवती संगठन के कार्यकारिणी का कार्यकालः–</u>**

धारा 34 (डी), (ए) एवं (बी) में उल्लेखित उक्त दोनो कार्यकारिणी का कार्यकाल, दोनों कार्यकारिणी के अध्यक्षों द्वारा पृथक–पृथक रुप से निर्वाचन/मनोनयन करने की दिनाँक से तीन वर्ष की अवधि तक रहेगा।

## धारा 36

अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण युवक संगठन एवं अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण युवती संगठन के चुनाव/निर्वाचन होने पर मतदाता सदस्य निम्नानुसार होंगे।

(1) युवक संगठन के संरक्षकगण (युवक संगठन हेतु) एवं युवती संगठन के संरक्षकगण (युवती संगठन हेतु)

(2) युवक संगठन की प्रत्येक क्षेत्रीय इकाईयों के दो युवक सदस्य (युवक संगठन हेतु) एवं

(3) युवती संगठन की प्रत्येक क्षेत्रीय इकाईयों की दो युवती सदस्य (युवती संगठन हेतु)

उक्त धारा 36 की उप धारा 2 एवं 3 के लिये क्षेत्रीय इकाईयों की कार्यकारिणी सर्वसम्मति से नाम तय करेगी। किसी भी विवाद की स्थिति में वह क्षेत्रीय इकाई समस्त सदस्यों की आमसभा आहूत कर सर्वसम्मति से या बहुमत के आधार पर निर्वाचित कर नाम तय करेगी, जो मतदाता सदस्य होगा।

## धारा 37

**युवक संगठन एवं युवती संगठन के अध्यक्ष का कार्यकाल**

**युवक संगठन अध्यक्ष एवं युवती संगठन अध्यक्ष द्वारा उनके निर्वाचन/मनोनयन दिनांक से कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा।**

## धारा 38

**युवा संगठन के युवक अध्यक्ष एंव युवती अध्यक्ष का चुनाव/मनोनयन**

**(1) उक्त दोनों पदो के लिये उम्मीदार वही होगा जो धारा 10 अनुसार किसी क्षेत्रीय इकाई का मतदाता होगा।**

(2) उक्त दोनों अध्यक्ष पदों के उम्मीदार पृथक–पृथक वही युवक एवं युवती होंगे। जो महासभा की किसी क्षेत्रीय इकाई का मतदाता सदस्य होगा और उसके विरुद्ध किसी भी भारतीय न्याय प्रणाली/न्यायालय /अधिकरण द्वारा उसे दंडित ना किया गया हो, जो आर्थिक विनिमित्ताओं/आर्थिक अपराध, छल एवं रिष्टी (चीटिंग एंव मिस्चीफ) से संबंधित हो, इसके अलावा उसे भारतीय दण्ड संहिता के तहत आर्थिक, सामाजिक, नैतिक एवं मानवता के मूल्यों के प्रावधानों में दंडित ना किया गया हो।

(3) उक्त दोनों संगठनों मे मनोनीत पदाधिकारीगणों एवं सदस्यों को युवक संगठन अध्यक्ष एवं युवती संगठन अध्यक्ष (पृथक–पृथक) के निर्वाचन में भाग लेने की पात्रता होगी। ये मतदान नहीं कर पायेंगे।

(4) महासभा अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु धारा 36 में उल्लेखित मतदाता सदस्य ही मतदान करेंगे।

(5) मुख्य निर्वाचन अधिकारी उनकी निर्वाचन समिति (दोनों सहायक निर्वाचन अधिकारीगण) एवं समाज के वरिष्ठजनों के सहयोग व विचार विमर्ष से दोनों संगठनों के अध्यक्षों हेतु आम सहमति बनाने का प्रयास करेगें। भारतवर्ष में चारों और फैले समाजजनों मे ंसे यदि रोटेषन पद्धति से भी आम सहमति बनती है तो इसका भी भरपूर प्रयास करेंगे। रोटेषन पद्धति से तात्पर्य है कि, समाजजनों के भारतवर्ष में अलग–अलग क्षेत्रों में निवासरत नार्मदीय ब्राह्मण समाज के सभी प्रतिष्ठित मतदाता सदस्य जो किसी एक नाम पर आम सहमति बनाने में अपनी–अपनी भूमिका रखते हैं, इन सभी से विचार–विमर्ष कर आम सहमति बनाने का प्रयास करेगें। आम सहमति के न बन पाने की दषा में मुख्य निर्वाचन/चुनाव अधिकारी, निष्पक्षता से, पारदर्षी रुप से, समाज हित को ध्यान में रखकर सर्वसुविधा के अनुसार एवं संविधान का पालन करते हुए निर्वाचन सम्पन्न करायेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पारदर्षी, समाज हित, सर्वसुविधा एवं संविधान का पालन करते हुए निर्वाचन सम्पन्न करायेंगे।

(6) निर्वाचन का समस्त खर्च महासभा द्वारा वहन किया जायेगा या जिस क्षेत्रीय इकाई के क्षेत्राधिकार में निर्वाचन होना है, महासभा अपने स्वविवेक से उस इकाई या अन्य क्षेत्रीय इकाईयों के सहयोग से निर्वाचन का समस्त खर्च वहन करेगा।

(7) यदि किसी कारणवष मुख्य निर्वाचन/चुनाव अधिकारी द्वारा घोषित दिनांक को निर्वाचन/चुनाव नहीं हो पाते हैं एवं महासभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो उस अवस्था में अनुषासन समिति या तो स्वयं या महासभा की आम सभा/विषेष साधारण सभा आहूत कर तदर्थ समिति का गठन धारा 9 (एन) अनुसार ही कर, दोनों संगठन अध्यक्षों का निर्वाचन पृथक–पृथक रुप से सम्पन्न करवायेगी। अगर अनुषासन समिति स्वयं निर्वाचन सम्पन्न करवाती है तो उस दषा में अनुषासन समिति और यदि तदर्थ समिति दोनों संगठनों के अध्यक्षों का निर्वाचन सम्पन्न करवाती है तो उस दषा में तदर्थ समति ही पूरे निर्वाचन के खर्च का वहन करेगी।

(8) मतदाता सदस्य केवल एक ही बार मतदान कर सकेंगे, भले ही वे एक से अधिक पदों पर पदस्थ हों।

## धारा 38

### (ए) युवक संगठन अध्यक्ष एवं युवती संगठन अध्यक्ष के कर्त्तव्य अधिकार एवं दायित्व मनोनीत या नव निर्वाचित अध्यक्षः–

**(1) मनोनीत या निर्वाचित युवक संगठन अध्यक्ष एवं युवती संगठन अध्यक्ष**

महासभा के संविधान का पालन करना व अपनी–अपनी कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करना। समस्त कार्यकारिणी को साथ लेकर चलना एवं समाजहित की कार्य योजना बनाकर उन्हें क्रियान्वयित करना। सभी के साथ आपसी सामंजस्य के साथ कार्य करना एवं समय–समय पर विधि अनुरुप निर्देष एवं मार्गदर्षन देना।

(1) अपनी–अपनी समस्त कार्यकारिणी की समस्त गतिविधियों का संविधान एवं पारित प्रस्ताव के अनुसार संचालन करना एवं उसका क्रियान्वयन करना।

(2) प्रचार सचिव के माध्यम से समाज हित के कार्यो का समाजजन के मध्य प्रचार, प्रसार एवं अपनी–अपनी कार्यकारिणी का समस्त पत्राचार आदि का कार्य सम्पादित करवाना।

(3) कार्य के विस्तार का आंकलन करते हुए कार्यकारिणी में अतिरिक्त पदाधिकारियों/सदस्यों को मनोनीत करना।

(4) समाज के परिजनों व क्षेत्रीय इकाईयों के विभिन्न क्षेत्रों में आपसी प्रेम, स्नेह, सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित करने हेतु कार्यकारिणी के सहयोग से निरंतर प्रयत्नषील रहना।

(5) समाज के परिजनों व क्षेत्रीय इकाईयों के समस्त क्षेत्रों के मध्य कोई भी मतभेद अथवा विवाद होने की स्थिति में व्यक्तिगत रुचि लेकर ऐसे मतभेद अथवा विवाद का कार्यकारिणी एवं समाज के प्रतिष्ठित, प्रबुद्ध वर्ग एवं संरक्षकगणों के सहयोग से शीघ्र निराकरण करना।

(6) दोनो संगठन अध्यक्ष अपनी–अपनी कार्यकारिणी का गठन, पृथक–पृथक रुप से, (धारा 34 (डी) (ए), (बी) अनुसार) के पष्चात पदाधिकारियों के मध्य कार्य का विभाजन करेंगे। समस्त पदाधिकारीगण, अपने–अपने अध्यक्ष के निर्देष अनुसार अपनी–अपनी क्षेत्रीय इकाई में भ्रमण करेंगे व उनके मार्गदर्षन में कार्य सम्पादित करवायेंगे। कार्य का विभाजन दोनों अध्यक्षों के स्वविवेक से होगा जो कभी भी परिवर्तित किया जा सकता है।

(7) दोनों संगठनों के समस्त पदाधिकारीगण/कार्यकारिणी के एवं सदस्यों के कार्यो के सम्बन्ध में मतभेद होने पर दोनों अध्यक्षों का निर्णय पृथक–पृथक रुप से अपने–अपने संगठनो के लिये अंतिम होगा।

(8) दोनों अध्यक्षों को पृथक–पृथक रुप से यह अधिकार होगा कि, वे उनकी कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को समय–समय पर समाजहित के कार्यो के लिये संविधान अनुसार निर्देष दे सकेगें साथ ही साथ उन सभी से किये गये कार्यो के बारे में भी पूछताछ कर सकेंगे। दोनो अध्यक्षों को यदि पृथक–पृथक रुप से यह प्रतीत होता है कि, उसकी कार्यकारिणी का कोई भी पदाधिकारी या सदस्य समाज हित के कार्यो में निष्क्रिय हैं या उनके विधिवत दिये गये निर्देषो का उल्लंघन कर रहे हैं या संविधान के विपरीत कोई कार्य कर रहे हैं तो वे उन्हें सूचना पत्र एवं सुनने का अधिकार देकर, स्वंय के संतुष्ट ना होने पर पदमुक्त (पद से हटाना) कर सकता है एवं उनके स्थान पर अन्य को मनोनीत भी कर सकता है।

(9) बाकी अन्य सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों के कर्त्तव्य, अधिकार एवं दायित्व, धारा 23 में उल्लेखित अनुसार, अपने संगठन को ध्यान में रखकर वहन किये जायेंगे।

## धारा 39

**युवक संगठन एवं युवती संगठन की कार्यकारिणी का गठन एवं दोनो के संगठनो के सम्मेलन की रुप रेखा पृथक–पृथक निम्नानुसार होगी :–**

---

(1) महासभा की महिला संगठन की कार्यकारिणी की पदाधिकारी/सदस्य केवल वे हीं महिला होंगी जो क्षेत्रीय इकाई (धारा 10) में उल्लेखित की सदस्य होंगी।

(2) निर्वाचित/मनोनीत युवक संगठन अध्यक्ष, युवक संगठन की कार्यकारिणी का गठन धारा 34(डी) (ए) अनुसार ही करेगें। इसकी समय सीमा धारा 28(डी) (सी) अनुसार ही रहेगी।

(3) निर्वाचित/मनोनीत युवती संगठन अध्यक्ष युवक संगठन की कार्यकारिणी का गठन धारा 34(डी) (बी) अनुसार ही करेगें। इसकी समय सीमा धारा 28(डी) (सी) अनुसार ही रहेगी।

(4) निर्वाचित/मनोनीत युवक संगठन अध्यक्ष महासभा युवक संगठन की कार्यकारिणी का गठन धारा 34(डी) (ए) अनुसार ही करेगें। इसकी समय सीमा धारा 28(डी) (सी) अनुसार ही रहेगी।

(5) महासभा कार्यकारिणी के गठन के पष्चात महासभा अध्यक्ष कार्यकारिणी की समस्त मनोनीत पदाधिकारियों एवं सदस्यों की जानकारियों को उनके नाम के उल्लेख के साथ समाज के समस्त पत्र/पत्रिकाओं में प्रकाषन हेतु देंगे। इसके साथ ही धारा 10 में वर्णित समस्त क्षेत्रीय इकाईयो के अध्यक्षों को भी प्रेषित करेंगे।

(6) युवक संगठन अध्यक्ष एवं युवती संगठन अध्यक्ष महासभा के सम्मेलन के समापन के 3 माह की समयावधि में सम्मेलन में सम्पन्न हुई कार्यवाही, गतिविधियों, विचार विमर्ष एवं अन्य निष्कर्ष एवं निर्णयों के सम्बन्ध में अपना विस्तृत प्रतिवेदन प्रसारित करेगी। जो पत्र पत्रिकाओं, सोषल मीडिया आदि माध्यमों के जरिये होगा।

(7) उक्त दोनों संगठनों में यदि किसी भी प्रकार का कोई विवाद या अवैधानिक कार्य किसी भी पदाधिकारी या सदस्य द्वारा किसी को भी दिखता है तो वह अन्य सदस्य या पदाधिकारी इसकी षिकायत अनुषासन समिति को कर सकते हैं। षिकायत प्राप्त होने के पष्चात अनुषासन समिति उसके अधिकारों एवं संविधान के अंतर्गत कार्य करेगी।

# भाग 6

## सामाजिक संस्थाएँ (संगठन, लोकन्यास, समितियाँ), अंकेक्षण एवं निरसन

## धारा 40

### सामाजिक संस्थाएँ

(1) विभिन्न स्थानों पर कार्यरत समाज की सभी संस्थाएं (संगठन, लोकन्यास, समितियाँ) प्रतिवर्ष रुपये 5,000/– (पॉच हजार) का शुल्क महासभा कार्यालय में जमा कर, महासभा में अपना–अपना पंजीयन अनिवार्य रुप से करवायेंगी। पंजीयन उपरांत महासभा सम्बन्धित संस्थाओं को पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान करेगी।

(2) महासभा कार्यकारिणी समय–समय पर इन सभी संस्थाओं (संगठन, लोकन्यास, समितियाँ) का संरक्षण कर मार्गदर्षन एवं सहयोग प्रदान करेंगी।

(3) उक्त सभी सामाजिक संस्थाएं (संगठनों, लोकन्यासों, समितियाँ) अपनी–अपनी गतिविधियों की जानकारियाँ समय–समय पर महासभा को अनिवार्य रुप से देंगी।

(4) उक्त सभी सामाजिक संस्थाओं (संगठनों, लोकन्यासों, समितियाँ) में महासभा अध्यक्ष पदेन संरक्षक होंगे।

(5) उक्त सभी सामाजिक संस्थाओं (संगठनों, लोकन्यासों, समितियाँ) में, महासभा की कार्यकारिणी में से एक मनोनीत पदाधिकारी या सदस्य रहेंगे, जो उक्त सभी संस्थाओं (संगठनों, लोकन्यासों, समितियाँ) की बैठकों में उपस्थित होंगे। बैठकों की सूचना उक्त समस्त संस्थाएँ महासभा को अनिवार्य रुप से देंगी।

(6) अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महासभा समाज की सर्वोच्च संस्था है, अतः समाज की राषि से निर्मित समस्त संस्थाएँ, समाज की राषि से किये जा रहे एवं नार्मदीय ब्राह्मण समाज के नाम का उपयोग कर समाजजनों से किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्यो, योजनाओं (आर्थिक मदद) चिकित्सकीय मदद, आपातकालीन मदद, दुर्घटनाओं के लिए मदद आदि) के लिये समस्त संस्थाएं उनकी संपत्तियों के

सम्बन्ध में, समाजजनों से प्राप्त राषि के सम्बन्ध में एवं किये जा रहे कार्यो के प्रति महासभा के प्रति जवाबदेह होंगी। उक्त सभी कार्यो एवं उल्लेखित उनकी सम्पत्तियों के बारे में एवं समाजजनों से प्राप्त राषि के साथ सम्बन्धित को दी गई सहायता के बारे में उक्त सभी संस्थाएं महासभा को लेखा जोखा (हिसाब) अनिवार्य रुप से देंगी।

(7) समाज की वे समस्त संस्थाएं/संगठन/लोकन्यास या समितियाँ जो नार्मदीय ब्राह्ममण समाज के नाम का उपयोग कर समाजजनों से किसी भी सामाजिक कार्य/योजना (आर्थिक मदद, चिकित्सकीय मदद, आपातकालीन मदद, दुर्घटना के लिये मदद आदि) के लिये रुपया इकट्ठा करते हैं, वे सभी उक्त कार्य करने के पूर्व अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महासभा से इस कार्य हेतु स्वीकृति प्राप्त करेगें। उसके पष्चात ही कार्य कर सकेगें, अन्यथा नहीं। महासभा से स्वीकृति लेकर ही उक्त कार्य करना इन सभी पर बंधनकारी होगा।

## धारा 41

### संविधान में संषोधन/परिवर्तन

संविधान में संषोधन/परिवर्तन हेत निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

(1) संविधान में कोई आवष्यक संषोधन/परिवर्तन की आवष्यकता होने पर महासभा की कार्यकारिणी द्वारा **"संविधान संषोधन समिति"** का गठन धारा 9(के) के अनुसार किया जायेगा।

(2) संविधान में संषोधन/परिवर्तन हेतु आवष्यक प्रस्तावित संषोधनों एवं सुझावों को महासभा की कार्यकारिणी या संविधान संषोधन समिति, समस्त समाजजनों से मंगवायेगी। इन सभी प्राप्त प्रस्तावित संषोधनों एवं सुझावों को **"संविधान संषोधन समिति"** विचार कर संविधान में किये जाने वाले प्रस्तावित संषोधनों एवं सुझावों को जोड़कर/परिवर्तित कर यथाषीघ्र महासभा को भेजेगी।

(3) महासभा की कार्यकारिणी, संविधान संषोधन समिति से प्राप्त प्रस्तावित संषोधनों एवं सुझावों को धारा 25 में उल्लेखित महासभा की साधारण सभा के

समस्त प्रस्तुत करेगी एवं साधारण सभा धारा 25 अनुसार प्रस्तावित संषोधनों एवं सुझावों को मान्य या अमान्य करेगी।

## धारा 42

**अंकेक्षण :–**

महासभा की कार्यकारिणी, महिला संगठन की कार्यकारिणी, युवक संगठन की कार्यकारिणी एंव युवती संगठन की कार्यकारिणी प्रतिवर्ष अपने–अपने आय–व्यय के हिसाबों का अंकेक्षण करायेगी एवं अंकेक्षण के पष्चात अंकेक्षण प्रतिवेदन को समाज के पत्र–पत्रिकाओं में भेजेगी।

## धारा 43

**निरसन :–**

इस संविधान के प्रभावषील होने पर महासभा के सभी पूर्व के विधान, संविधान–2019, नियम आदि स्वमेव निरस्त माने जायेंगे परंतु उन सभी (पूर्व के) में पूर्व में की गई सभी कार्यवाहियॉ वैध मानी जावेगी।

# भाग 7

# विविध (प्रकीर्ण)

## धारा 44

**महासभा की कार्यकारिणी इस संविधान के सभी या किसी धारा/धाराओं, उपधाराओं के क्रियान्वयन के लिये किसी भी संगठन ( अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महिला संगठन, अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण युवक संगठन एवं अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण युवती संगठन) को ऐसे निर्देष दे सकेगी, जिन्हें वह आवष्यक समझे और वे संगठन जिन्हें निर्देष दिये गये हैं, वे ऐसे निर्देषों का अनुपालन करेंगे।**

## धारा 45

महासभा की कार्यकारिणी को समाज हित में प्रषासनिक गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिये नियम एवं उपनियम, विनियम/प्रावधान बनाने की शक्ति होगी, जिसे बनाकर समाजहित में प्रषासनिक कार्य किया जा सके।

## धारा 46

महासभा अपने अधिनस्थ सभी संगठनों के माध्यम से महासभा का प्रचार, प्रसार, प्रचार सचिवों के द्वारा किये जाने हेतु कार्यो हेतु समय–समय पर निर्देषित कर मार्गदर्षन प्रदान करेगी। प्रचार सचिव हर ग्राम (कस्बे) एवं ऐसे छोटे शहर जहॉ महासभा की जानकारी उपलब्ध करवाकर समाजजनों को महासभा से जोड़ा जाना है, जागृति फैलाने का कार्य करेंगे और समाजजनों को उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सदस्य बनाये जाने हेतु प्रयास करेंगे, प्रेरित करेंगे।

## धारा 47

महासभा की कार्यकारिणी सभी संगठनों के साथ मिलकर, सभी समाजजनों को साथ लेकर, सामाजिक एकता व अखंडता के साथ **"मैं नार्मदीय, हम नार्मदीय"** के मूल मंत्र के उद्देष्य के साथ कार्य करेगी।

## धारा 48

चुनाव/निर्वाचन की घोषणा के पूर्व भी महासभा, सभी संगठनों के साथ मिलकर **"रोटेषन पद्धति"** को ध्यान में रखकर, संरक्षकगणों के मार्गदर्षन में चारों ओर के समाजजनों के मध्य इस बात की कोषिष करेगी कि, समय–समय पर सभी को निरंतरता से एक के बाद एक महासभा के अध्यक्ष के लिये और सभी संगठनों के अध्यक्ष के लिये सर्वसम्मति से किसी एक का नाम मनोनीत हो सके। अगर यह सम्भव नहीं हो पाता है तो इस संविधान में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार चुनाव/निर्वाचन सम्पन्न करवायें जायेंगे।

## धारा 49

अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महिला संगठन की कार्यकारिणी, अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण युवक संगठन की कार्यकारिणी एवं अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण युवती संगठन की कार्यकारिणी को समाज हित में प्रषासनिक गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिये नियम एवं उपनियम, विनियम/प्रावधान बनाने की शक्ति होगी, जिसे बनाकर समाजहित में प्रषासनिक कार्य किया जा सके।

## धारा 50

महासभा अपने अधिनस्थ सभी संगठनों के साथ मिलकर सम्पूर्ण समाज में इस प्रकार सौहार्दपूर्वक, सहिष्णुतापूर्वक, प्रेमपूर्वक, सामंजस्य सहित, आदरभाव, एकता और अखंडता, निष्पक्षता, पारदर्षिता और अनुषासन का माहौल पैदा करने का प्रयास करेगी, जिससे सारा समाज इस महासभा का अभिन्न अंग बनकर एक साथ समाज हित के कार्य कर सके।